

जंतर-मंतर छात्र प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट बनाएगा हाई पावर्ड फैक्ट फाईंडिंग कमेटी,सीसीटीवी फुटेज की होगी जांच

नई दिल्ली,18 अगस्त 2026। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक हाई पावर्ड फैक्ट फाईंडिंग कमेटी बनाने का फैसला किया। यह कमेटी 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद तक छात्रों के मार्च के सीसीटीवी फुटेज की जांच करेगी और पुलिस की कार्रवाई के आरोपों की भी पड़ताल करेगी। चीफ जस्टिस सुर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने पार्टियों से उन पूर्व जजों, पूर्व डीजीपी या रिटायर्ड सीबीआई इंस्पेक्टरों के बारे में सुझाव मांगे, जिन्हें उस पैनल में शामिल किया जा सके जो इस बात की जांच करेगा कि क्या नीट पेपर लीक और दूसरी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध कर रहे छात्रों पर जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली और बिहार में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है और सिर्फ इसलिए 'लाठीचार्ज' को सही नहीं ठहराया जा सकता कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैक्ट-फाईंडिंग कमेटी (तथ्यों की जांच करने वाली समिति) से समय-समय पर रिपोर्ट देने के लिए कहा जा सकता है ताकि बेंच जरूरी निर्देश दे सके, खासकर महिला प्रदर्शनकारियों के साथ यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों को देखते हुए।

अर्जुन अवॉर्ड की लिस्ट जारी..दिव्या-तेजस्विन-गायत्री समेत 17 खिलाड़ियों को मिली खुशखबरी

नई दिल्ली,18 अगस्त 2026। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश के अलग-अलग खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों,कोचों और संस्थाओं को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इस साल अर्जुन अवॉर्ड के लिए एथलेटिक्स स्टार तेजस्विन शंकर,शतरंज खिलाड़ी विदित सतोष गुजराती और दिव्या जितेंद्र देशमुख के अलावा बैडमिंटन की जोड़ी गायत्री गोपीचंद और टेसा जॉली समेत कई नाम शामिल हैं। नेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स हर साल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस (रिटायर्ड) अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर पुरस्कारों के लिए नामों को मंजूरी दी गई है। अर्जुन अवॉर्ड उन खिलाड़ियों को दिया जाता है, जिन्होंने पिछले चार वर्षों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के साथ नेतृत्व क्षमता,खेल भावना और अनुशासन का प्रदर्शन किया है। इस साल अर्जुन अवॉर्ड के लिए कुल 17 खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। इनमें एथलेटिक्स से तेजस्विन शंकर,मुहम्मद अजमल वरियाथोड़ी और प्रियंका गोस्वामी शामिल हैं। बैडमिंटन से टेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चुना गया है। बॉक्सिंग में नरेंद्र और शतरंज में विदित सतोष गुजराती तथा दिव्या जितेंद्र देशमुख को सम्मान मिलेगा। डेफ शूटिंग से धनुष श्रीकांत, हॉकी से लालरैमिस्यामी और राजकुमार पाल भी पुरस्कार सूची में हैं।

देश में बनेंगे फाइटर जेट-टैक और ग्लाइड सिस्टम के उपकरण...सरकार ने 405 प्रोडक्ट की लिस्ट जारी की; 3000 करोड़ के कारोबार की उम्मीद

नई दिल्ली,18 अगस्त 2026। सरकार हथियारों-मिसाइलों और टैंक के ज्यादातर पार्ट्स भारत में ही बनाना चाहती है। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को 405 स्ट्रैटेजिक आइटम की छठी लिस्ट जारी की। इनमें अलग-अलग मशीनों के हिस्से,स्पेयर पार्ट्स,कंपोनेंट,सब-सिस्टम और रॉ मटेरियल शामिल है। हेलिकॉप्टर और लड़ाकू विमान से जुड़े सामान,टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के सामान,रडार,सोनार और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और टैंक रोधी गोला-बारूद भी शामिल हैं। अगर ये सामान देश की कंपनियां ही बनाती हैं तो कुल 3,070 करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। इसका मकसद डिफेंस सेक्टर में आयात घटना और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। रक्षा मंत्रालय के तहत जारी लिस्ट में हर प्रोडक्ट के भारतीयकरण के लिए तय समय दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में फांसी सिस्टम खत्म करने की याचिका खारिज मौत के लिए जहरीले इंजेक्शन या गोली मारने जैसे तरीकों की मांग की गई थी...

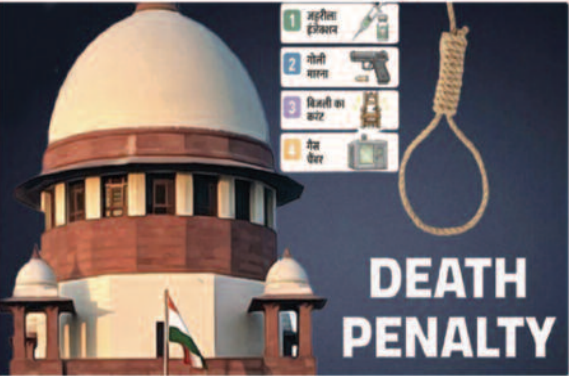
नई दिल्ली, 18 अगस्त 2026। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौत की सजा देने के लिए फांसी की मौजूदा व्यवस्था खत्म करने की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई आधार नहीं है, जिसके कारण फांसी को असंवैधानिक घोषित किया जाए। याचिका में फांसी को क्रूर, अमानवीय और दर्दनाम बताया गया था। इसकी जगह जहरीले इंजेक्शन, गोली मारने जैसे चार वैकल्पिक तरीकों से मौत की सजा देने की मांग की गई थी।

याचिका में कहा था...कम दर्द देने वाले तरीके अपनाए जाएं : वरिष्ठ वकील ऋषि मल्होत्रा ने 2017 में यह याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया था कि फांसी की प्रक्रिया में 40 मिनट से ज्यादा लग सकते हैं, जबकि गोली

सुप्रीम कोर्ट बोला....केंद्र चाहे तो फांसी के तरीके की समीक्षा करा सकता है...

कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका खारिज करने का मतलब यह नहीं है कि भविष्य में संवैधानिक समीक्षा का रास्ता बंद हो गया है। अगर ठोस वैज्ञानिक,मैडिकल या अनुभवजन्य सबूत सामने आते हैं, तो इस मुद्दे की दोबारा जांच की जा सकती है। कोर्ट ने कहा- केंद्र सरकार विशेषज्ञों की समिति बनाकर मौजूदा फांसी की व्यवस्था की व्यापक समीक्षा कर सकती है। समिति यह जांच सकती है कि क्या कोई वैकल्पिक तरीका अनावश्यक पीड़ा कम करने और दर्दों की गरिमा बनाए रखने में बेहतर है।

मारने में कुछ मिनट और जहरीले इंजेक्शन में करीब 5 मिनट लगने का दावा किया गया। याचिका में सीआरपीसी की धारा 354(5) को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी।



गरिमा के अधिकार के खिलाफ बताया गया। मल्होत्रा ने यह भी कहा था कि मौत की सजा पाए कैदी को फांसी और जहरीले इंजेक्शन में से कोई एक तरीका चुनने का विकल्प मिलना चाहिए।

देवेंद्र महतो बोले...अभी मिली पहली जीत व्यापक सुधार का आंदोलन जारी रहेगा

रांची,18 अगस्त 2026। झारखंड में जेएसएससी-सीजीएल समेत टीछीपीएल एजेंसी के माध्यम से आयोजित 14 भर्ती परीक्षाओं को रद्द किए जाने के फैसले को आंदोलनकारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आंदोलन की पहली बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा रद्द होना संघर्ष का अंतिम पड़ाव नहीं है और भर्ती व्यवस्था में व्यापक सुधार होने तक आंदोलन जारी रहेगा। देवेंद्र नाथ महतो ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी और धांधली के आरोप सामने आए थे, उन्हें रद्द किया जाना छात्रों के लंबे संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य केवल किसी एक परीक्षा को रद्द करना नहीं, बल्कि झारखंड की पूरी भर्ती और परीक्षा व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाना



है। उन्होंने कहा कि अब सरकार को ऐसी व्यवस्था की गारंटी देनी होगी, जिसमें भविष्य में पेपर लीक, प्रश्नपत्र की सेटिंग या परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली की गुंजाइश न रहे। इसके लिए प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के हर चरण का ऑडिट होना चाहिए और परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी से लेकर संबंधित अधिकारियों तक की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। महतो ने कहा कि आंदोलन के दौरान छात्रों ने लंबा संघर्ष किया है

पीएम केयर्स फंड में घरेलू डोनेशन 30% घटा

479 करोड़ रहा,पिछले साल विदेशी दान में भी कमी आई,फंड में अभी 8452 करोड़

नई दिल्ली,18 अगस्त 2026। 2025 में पीएम केयर्स फंड में घरेलू दान 30% घटकर करीब 479 करोड़ रुपए रहा। विदेशी दान में भी कमी आई। यह 18% घटकर 92.8 लाख रुपए रह गया है। 2023 में घरेलू दान 681 करोड़ और विदेशी दान 1.13 करोड़ रुपए था। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में फंड में टोटल रकम 7,173 करोड़ रुपए थी। 2025 में यह 8,452 करोड़ रुपए हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में कोविड महामारी फैलने के बाद पीएम केयर्स फंड बनाया था। प्रधानमंत्री ही इस फंड के अध्यक्ष होते हैं। इस फंड में पूरी राशि दान के रूप में आती है और इसे सरकार के बजट से कोई पैसा नहीं मिलता।



पीएम केयर्स में फॉरेन फंडिंग घटी : इस फंड में फॉरेन फंडिंग 2020-21 में 495 करोड़ रुपए थी, जो आगले दो वित्त वर्षों में घटकर 40 करोड़ रुपए और 2.57 करोड़ रुपए रह गई। 2023-24 में विदेशी दान से 1.13 करोड़ रुपए मिले थे। 2024-25 में विदेशी योगदान 92.8 लाख रुपए रहा। यह

2019-20 में मिले 39.7 लाख रुपए के बाद यह सबसे कम डोनेशन रहा। 2023 में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्क्रीम पर पिछले साल 15.37 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2024 में यह रकम 15.6 करोड़ रुपए थी। पीएम केयर फंड का इस्तेमाल समय-समय पर इमरजेंसी केयर बढ़ाने के लिए किया गया। केंद्र और राज्य सरकारों के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने और वेंटिलेटर खरीदने पर पैसा खर्च किया गया। 2021-22 में प्रेशर रिविंग ऑक्सीजन प्लांट पर 1,703 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वेंटिलेटर पर 835 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2021-22 में फंड का कुल खर्च करीब 1,938 करोड़ रुपए था।



तावड़े को सौंप जाने को अहम माना जा रहा है। पंजाब विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया है। उनके साथ जगदीश ईश्वरभाई पटेल को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण राज्य है, ऐसे में चुनाव की कमान

माधव और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

पार्टी ने संगठन महामंत्री बीएल सतोष को उनके पद पर बख्तरार रखा है। मीडिया की जिम्मेदारी अनिल बलूनी के पास ही रहेगी, जबकि सोशल मीडिया की कमान छत्तीसगढ़ के दीपक म्हास्के को सौंपी गई है। बीजेपी के इस संगठनात्मक फेरबदल में आगामी विधानसभा चुनावों पर पार्टी का खास फोकस साफ नजर आ रहा है। यूपी, पंजाब और गुजरात में अनुभवी नेताओं की जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने चुनावी तैयारियों को और धार देने का संकेत दिया है।

28 में से 14 मुख्यमंत्रियों पर गंभीर केस रेवत रेड्डी के खिलाफ 89 मामले...

नई दिल्ली,18 अगस्त 2026। सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की सुनवाई जल्द पूरी करने से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चौकाने वाली जानकारी सामने आई। एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हेसारिया ने अदालत को बताया कि देश के 28 राज्यों में से 14 राज्यों के मौजूदा मुख्यमंत्रियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवत रेड्डी इस सूची में सबसे ऊपर हैं। उनके खिलाफ कुल 89 आपराधिक मामले दर्ज बताए गए हैं। अदालत के सामने पेश की गई जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुबेंदु

अधिकारी के खिलाफ 29 मामले दर्ज हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ 19-19 मामले हैं। वहीं केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशान के खिलाफ 18 मामले दर्ज बताए गए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ पांच, जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ चार-चार मामले लंबित हैं। रिपोर्ट में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ दो-दो आपराधिक मामलों का उल्लेख किया गया है।

छत्तीसगढ़ में बड़े प्रशासनिक फेरबदल...कई जिलों के कलेक्टर बदले

कांकेर,मुंगेली,सक्ती,गरियाबंद,कबीरधाम और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के कलेक्टर बदले; सरगुजा जिला पंचायत की कमान रोमा श्रीवास्तव को...

रायपुर,18 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में कई जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। इसके साथ ही मंत्रालय,नगरीय प्रशासन, खाद्य, जल जीवन मिशन,पर्यटन,समाज कल्याण समेत कई महत्वपूर्ण विभागों में भी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

कांकेर से लेकर कबीरधाम तक बदले कलेक्टर

कांकेर कलेक्टर नीलेशकुमार महादेव क्षीरसागर को संचालक,नगरीय प्रशासन एवं विकास बनाया गया है। उनकी जगह कुंदन कुमार को कांकेर कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। मुंगेली कलेक्टर कुंदन कुमार के स्थान पर सक्ती कलेक्टर अमृत विकास तोपनो की मुंगेली भेजा गया है। सक्ती कलेक्टर की जिम्मेदारी अब जयश्री जैन संभालेंगी। वहीं मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी की कलेक्टर तुलिका प्रजापति को कबीरधाम कलेक्टर बनाया गया है। कबीरधाम कलेक्टर गोपाल वर्मा को संयुक्त सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

गरियाबंद कलेक्टर बदले,रणवीर शर्मा को कमान

गरियाबंद कलेक्टर भगवान सिंह डड्के को संयुक्त सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग पदस्थ किया गया है। उनके स्थान पर संचालक समाज



सरगुजा जिला पंचायत की नई सीईओ रोमा श्रीवास्तव

तबादला सूची में सरगुजा को भी महत्वपूर्ण बदलाव मिला है। रोमा श्रीवास्तव,भा.प्र.से. (2020), उप सचिव,मंत्रालय को आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत सरगुजा पदस्थ किया गया है। वहीं नारायणपुर जिला पंचायत सीईओआकांक्षा शिक्षा खलखो को उप सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग पदस्थ करते हुए संचालक, खेल एवं युवा कल्याण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

जल जीवन मिशन की जिम्मेदारी रिमिजियुस एक्का को...

नगरीय प्रशासन एवं विकास के संचालक रिमिजियुस एक्का को विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए मिशन संचालक, जल जीवन मिशन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उनके कार्यभार ग्रहण करने के बाद पीएचई सचिव मो. केसर अब्दुलहक जल जीवन मिशन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

कल्याण रणबीर शर्मा को गरियाबंद कलेक्टर बनाया गया है। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के नए कलेक्टर के रूप में तनुजा सलाम की पदस्थापना की गई है। वे वर्तमान में संचालक, खेल एवं युवा कल्याण के पद पर थीं।

पर्यटन मंडल की कमान सौमिल रंजन चौबे को : कृषि विभाग के उप सचिव सोमिल रंजन चौबे को प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल बनाया गया है। उनके कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही पर्यटन मंडल के असंवर्गीय पद को



दुर्ग निगम आयुक्त भी बदले...

लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक लीना कोसम को आयुक्त,नगर पालिक निगम दुर्ग पदस्थ किया गया है। वहीं अगर कलेक्टर नारायणपुर बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई को अपर कलेक्टर विलासपुर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा भुवनेश यादव को आदिम जाति विकास,अनुसूचित जाति विकास,पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार,जगदीश सोनकर को विशेष सचिव खाद्य विभाग खाद्य गजेन्द्र सिंह ठाकुर को संचालक समाज कल्याण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

मुख्य सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभारी

आदेश के अनुसार किमारानी बोगा को अगली सूचना तक अस्थायी रूप से मुख्य सचिव,विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभारी बनाया गया है। वहीं आर. संगीता को सचिव, मंत्रालय के पद पर पदस्थ किया गया है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेटनमन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया गया है।

विलास संदिपाण को नागरिक आपूर्ति निगम का अतिरिक्त प्रभार : अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोसकर विलास संदिपाण को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-

एक नजर में प्रमुख बदलाव

- कांकेर कलेक्टर—कुंदन कुमार
- मुंगेली कलेक्टर—अमृत विकास तोपनो
- सक्ती कलेक्टर—जयश्री जैन
- गरियाबंद कलेक्टर—रणवीर शर्मा
- कबीरधाम कलेक्टर—तुलिका प्रजापति
- मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी कलेक्टर—तनुजा सलाम
- सीईओ जिला पंचायत सरगुजा—रोमा श्रीवास्तव
- आयुक्त नगर निगम दुर्ग—लीना कोसम
- अपर कलेक्टर विलासपुर—बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई
- मिशन संचालक जल जीवन मिशन—रिमिजियुस एक्का
- प्रबंध संचालक पर्यटन मंडल—सौमिल रंजन चौबे



सुविधा की कीमत चुकाने का समय

अपने आसपास किसी सब्जी के ठेले,टी-स्टाल या दवाई की दुकान या किसी भी अन्य प्रतिष्ठान पर नजर डालिए तो बहुत संभव है कि आपको वहां यूपीआइ क्यूआर कोड नजर आए। केवल जुलाई 2026 में ही भारत में 29.9 लाख करोड़ रुपये के 2,366 करोड़ यूपीआइ लेनदेन हुए। भारत का बनाया हुआ यह एक ऐसा सिस्टम है,जिसे पूरी दुनिया सराहती है। चूँकि लगभग सभी लोग इसका उपयोग करते हैं,इसलिए जब अगस्त में संसद ने कुछ यूपीआई भुगतानों को शुल्क के दायरे में लाने संबंधी कानून को हरी झंडी दिखाई तो उस पर आक्रोश दिखा। लोगों को लगा कि उनसे मुफ्त सुविधा छीनी जा रही है। यह भाव बहुत ही स्वाभाविक है। इसके पीछे तमाम पहलू उत्तरदायी हैं।

कानून में जिस सुविधा का उल्लेख है वह मर्चेंट डिस्काउंट रेट या एमडीआर है, जिसका भुगतान उपभोक्ता नहीं,बल्कि व्यापारी को करना होगा। यह शुल्क 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान और बड़े कारोबारियों पर ही लागू होगा। किसी मित्र,परिचित या परिवार के सदस्य को होने वाला सामान्य भुगतान पहले की ही तरह शुल्क मुक्त रहेगा। छोटे दुकानदारों को भी भुगतान पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। शुल्क की 0.25 प्रतिशत से 0.4 प्रतिशत की प्रस्तावित दर भी बहुत कम है। कार्ड कंपनियों तो वर्षों से दुकानदारों से भुगतान के एवज में कहीं भारी शुल्क वसूलती आ रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यूपीआइ सेवा हमेशा से पूरी तरह मुफ्त रही है? कदाई नहीं।

प्रत्येक यूपीआई भुगतान को पूरा करने के लिए करीब दो रुपये की लागत आती है। इस प्रक्रिया में शामिल सर्वर,इंजीनियर,फ़ाउ चेकिंग से लेकर पलक झपकते ही मुद्रा हस्तांतरण की सुविधा के लिए किसी और को शुल्क चुकाना पड़ता है। वर्ष 2020 से ही कानून लागू है कि यूपीआइ के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा तो इन लागतों का बोझ कौन वहन करता है? इसकी अदायगी पेमेंट कंपनियों और बैंक अपनी जेब से करते हैं और कुछ हद तक करदाता भी। यूपीआइ के लिए सरकार पहले ही करीब 11,000 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। स्पष्ट है कि कुछ भी पूरी तरह मुफ्त नहीं। फर्क इतना है कि बिल किसी दूसरे पते पर भेजा जाता है।

इस मुद्दे पर इतनी चर्चा क्यों आवश्यक है? ऐसा इसलिए,क्योंकि ऐसे ही कुछ मामलों में भारत के अच्छे अनुभव नहीं रहे हैं। कई राज्यों द्वारा किसानों के लिए मुफ्त बिजली का ही उदाहरण लीजिए। इससे न तो किसान बहुत फायदे में रहे और न ही बिजली कंपनियाँ। इसका नतीजा बिजली आपूर्ति में गतिरोध से लेकर ट्रंसफार्मर जैसे उपकरणों में व्यापक खामियों के रूप में सामने आया। मुफ्त बिजली से दिन-रात चलने वाले पंपों के कारण भूमिगत जल पर भी सफ़्त गहराता गया। हमने अपने नहरों में पानी लगभग मुफ्त उपलब्ध कराया हुआ है। इसका नतीजा दिखता है कि नल अमूमन दो घंटे ही चलते हैं। असल में जब किसी सेवा पर राजस्व अर्जित करने के दृष्टिकोण से सीमा तय कर दी जाए तो वह धीरे-धीरे अपनी उपयोगिता गंवा देती है। फिर उसमें न तो कोई निवेश करने के लिए आगे आता है और न ही कोई उसे बेहतर बनाने का प्रयास करता है। ऐसी सेवा केवल सरकारी अनुकृपा पर चल रही होती है। देखा जाए तो मुफ्तखोरी का चलन ही तमाम अच्छे चीजों के पतन का कारण बनता है। यूपीआइ इससे बेहतर की हकदार है। उसे निरंतर निवेश का सहारा चाहिए। भुगतान का दायरा बढ़ने से सर्वर भी अधिक चाहिए होंगे। धोखाधड़ी बढ़ने से दमदार सुरक्षा आवरण भी आवश्यक है।

पुलिस पर क्यों जनता को विश्वास नहीं?



आत्माराम यादव नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

पुलिस हमारी रक्षक है और पुलिस के कारण ही सभी ओर अमन-चैन और शांति बनी रहती है। हरेक नागरिक देश के संविधान का पालन करते हुये

आजादी से जिये इसके लिए सरकार ने सभी ओर पुलिस थाने खोल रखे है और पुलिस कानून और सुरक्षा की जिम्मेदारी का पालन करती और करवाती है लेकिन फिर भी जाने क्यों लोगों का पुलिस से शर्मनाक उठ गया है। लोग पुलिस को अच्छी नजर से नहीं देखते है और भदे शब्दों में निंदा करते है। आखिर क्यों काव्यमंचों के संचालक हो या काव्य पाठ करने आए कवि वे खुलेआम पुलिस को चोर, उच्चाक,डाकू लुटेरा सहित न जाने क्या क्या उदाहरणों से शर्मनाक तरीके से निंदा कर जनता से वाहवाही लूटकर खुश होते है और पुलिस का सार्वजनिक मजाक तालियों की गड़गड़ाहट में सिवाय पुलिसवाले के किसी और को नहीं चुभता है,क्यों? जबकि देखा जाये तो पुलिस दिन रात चौबीस घंटे,सातों दिन,पूरे महीने तीज त्योहारों,पर्वों-उत्सवों,मेलों,रैलियों-जुलूसों और सामा जिक व राजनैतिक आयोजनों मे ड्यूटी देकर आपकी सेवा में,भीड़ में सभा में शांति कायम रखने के लिए सतर्क रहती है और किसी भी प्रकार की अग्रिय घटना से बचाती है,फिर क्या कारण है कि जनता पुलिस से सुविधा-संरक्षण तो चाहती ही पर व्यवहार-आचरण में वह वदीं के अममान में जाने अनजाने शामिल रहती है।

साधारण लोग पुलिस के डर से जब तक बहुत ही कष्ट न सह लें तब तक वे छोटी मोटी शिकायतें मुंह पर नहीं लाते । मन की मन ही में रहने देते हैं। किंतु रात में गश्त देने वाले पुलिस कर्मियों की शिकायत जब देखो तभी जिसके देखो उसी के मुंह पर रखी रहती है। इसका क्या कारण है? पुलिस इनमें भेद क्यों करती है तथा पुलिस की नजर में क्या यह आम व्यक्ति देश का नागरिक नहीं है?क्या पुलिसवाले इतना नहीं

जानते कि हम सर्वसाधारण में शांति रखने के लिए रखे गए हैं न कि सताने कुछने वा चिढ़ाने के लिए ? यदि यह है तो फिर यह पुलिस वाले क्यों ऐसा बर्ताव करने से नहीं बचे रहते जिसमे खुद की निंदा या अपमान हो?

इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग सभी समुदायों में हुआ करते हैं तथा बहुत ही अच्छे बुरे लोग बहुत थोड़े होते हैं। इस नियम से पुलिस वालों में से भी जो कोई दुष्ट प्रकृति का होकर खुद को बेरहम-मक्कार,हरामी भ्रष्ट और अब्बल दर्जे का बेईमान बना ले ये ही वर्ग कानून को आपसी पॉकेट में रखकर निंदा का पात्र हो जाता है। इनकी ही निंदा इनके ही कर्म विभाग के अन्य ईमानदार-कर्तव्यनिष्ठ पुलिसवालों के मार्ग में बाधक बन कर देते हैं यह जगहसाई का कारण बनते है। जब बिना कारण किसी गरीब-आम नागरिक के लिए पुलिसवाले के कानूनी अधिकार का निर्वाह कर सके। आईएनएस सुरक्षा कर्मी चौकीदार की तनकाह से उनकी बर्दी-जूते के दाम भी कटते है। इस रीति से पूरा वेतन भी नहीं हाथ आता और समय इनकी किस्मत पर थपपड़ जड़ते रहता है जिससे ये अपनी माता,बहन,भाई सहित बुजुर्ग बीमार पिता आदि का भरण पोषण केवल अपनी कमाई से करना पड़ता है।

पुलिस अधीक्षक,कलेक्टर,

डिप्टी कलेक्टर,आबकारी अधिकारी, आरटीओ,सांसद-विध्वक जैसे न जाने कितने अधिकारी व राजनैतिक ओर विभाग प्रमुख होते है जिनके बंगलों सहित निजी घरों में इनके ऑफिसों का 30 प्रतिशत कर्मचारी जो पुलिस-होमगार्ड या विभाग के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते है जो इनके बंगलों पर बचों को छिलाने,स्कूल लाने ले जाने,खाना बनाने से लेकर सभी तरह की सेवाएं देने को विवश होते है जिससे सरकार के एक बड़ा कर्मचारियों का भाग साहब की की हजुरी में निकाल जाता है, इनमें स्वाभिमानी कर्मचारी तो बच निकलते है किन्तु कुछ तरकीबी पाने,अफसरों को प्रसन्न रख अपना उल्लू सीधा करने तो कुछ लाचारी-बेवशी में खामोशी से यह सब सहते है । इन सभी को काम कम



अधुरी तनख्वाह वाले ये युवा तंगी-लाचारी का जीवन जीते हुये हर तीज त्योहारों पर धनिक लोगों से फटा पुराना कपड़ा जुता,अन्य इनके लिए अनुपयोगी हो चुकी सामग्री मांगते है ताकि वे गरीबी में भी अपना ओर परिवार का निर्वाह कर सके। आईएनएस सुरक्षा कर्मी चौकीदार की तनकाह से उनकी बर्दी-जूते के दाम भी कटते है। इस रीति से पूरा वेतन भी नहीं हाथ आता और समय इनकी किस्मत पर थपपड़ जड़ते रहता है जिससे ये अपनी माता,बहन,भाई सहित बुजुर्ग बीमार पिता आदि का भरण पोषण केवल अपनी कमाई से करना पड़ता है।

पुलिस अधीक्षक,कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर,आबकारी अधिकारी, आरटीओ,सांसद-विध्वक जैसे न जाने कितने अधिकारी व राजनैतिक ओर विभाग प्रमुख होते है जिनके बंगलों सहित निजी घरों में इनके ऑफिसों का 30 प्रतिशत कर्मचारी जो पुलिस-होमगार्ड या विभाग के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते है जो इनके बंगलों पर बचों को छिलाने,स्कूल लाने ले जाने,खाना बनाने से लेकर सभी तरह की सेवाएं देने को विवश होते है जिससे सरकार के एक बड़ा कर्मचारियों का भाग साहब की की हजुरी में निकाल जाता है, इनमें स्वाभिमानी कर्मचारी तो बच निकलते है किन्तु कुछ तरकीबी पाने,अफसरों को प्रसन्न रख अपना उल्लू सीधा करने तो कुछ लाचारी-बेवशी में खामोशी से यह सब सहते है । इन सभी को काम कम

नौकरी के साथ जीवन की तैयारी भी जरूरी

सरकारी नौकरी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है,लेकिन यह जीवन का सच कुछ नहीं होना चाहिए। हालांकि वेतन,पद,पदोन्नति और सरकारी लाभ



डॉ. प्रियंका सिंह हिस्सर, हरियाणा

अच्छे हैं,लेकिन अच्छा परिवार, स्वास्थ्य,आर्थिक सुरक्षा,व्यक्तिगत विकास और सेवानिवृत्ति के बाद के भविष्य की तैयारी भी उत्तनी ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले,अपने घर की योजना बनाएं। चाहे गांव हो या शहर,अपना घर होने से स्थिरता और आत्मनिर्भरता का एहसास होता है। सरकार द्वारा आवास मिलना अच्छी बात है,लेकिन वह आपके जीवन का आधार नहीं होना चाहिए। अपना घर होने से नौकरी छूटने की स्थिति में आपको और आपके परिवार को काफी आसानी होगी।

काम के प्रति ईमानदार और समर्पित रहें,लेकिन अपना पूरा जीवन कार्यस्थल को न समर्पित करें। यह न सोचें कि आपके बिना कंपनी नहीं चल सकती। इनमें से प्रत्येक भूमिका कोई और निभा सकती है,लेकिन अपने के साथ बिताएं उन पलों को आप कभी वापस नहीं पा सकते। अपनी छुट्टियों और अवकाश का आनंद लें,आराम करें या परिवार और दोस्तों के साथ अच्छ समय बिताएं,अपना ख्याल रखें,यात्रा करें,सीखें और जीवन का आनंद लें। पदोन्नति को ही सफलता का एकमात्र

मापदंड न बनाएं। अभ्यास करें और अपनी क्षमताओं को विकसित करें,ज्ञान बढ़ाएं और अपने हर काम में उत्कृष्टता प्राप्त करें। पदोन्नति मिलने पर उसका लाभ उठाएं। अगर पदोन्नति नहीं मिलती है,तो निराश होकर अपने आत्मसम्मान को कम न होने दें। व्यक्तिगत विकास किसी पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ऑफिस की गपशप,राजनीति और नकारात्मक बातों से दूर रहें। बड़ों का आदर करें,लेकिन कार्रटूसी को अपना पेशा न बनाएं। शक्तिशाली लोगों को खुश करने से क्षणिक सम्मान मिल सकता है,लेकिन ये चीजें स्थायी सम्मान नहीं दिलातीं। अपने आत्मसम्मान,आत्म-सम्मान और आत्मनिष्ठा को बनाए रखें।

हमेशा दूसरों से अपनी तुलना न करें, बल्कि खुद से प्रतिस्पर्धा करें। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का एक स्तर सुधार के लिए अच्छा होता है,लेकिन अगर यह किसी को हारने की भावना से प्रेरित हो,तो कुछ लोग बेवजह तनावग्रस्त हो जाते हैं। आपको कल खुद से मुकाबला करना चाहिए, किसी और से नहीं।

अपने वित्त का प्रबंधन करने की क्षमता भी उत्तनी ही महत्वपूर्ण है। अपनी तनख्वाह पर निर्भर न रहें और उससे ही सब कुछ पाने की उम्मीद न रखें। अपनी आय, दायित्वों और जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर बचत और निवेश योजनाएं बनाएं। जब आप दूसरी आय या व्यवसाय के बारे में सोचें, तो सुनिश्चित करें कि यह सेवा नियमों और आपके पेशेवर कर्तव्यों के अनुरूप हो। नियमित रूप से बचत करने की आदत



डालें।अनावश्यक कर्ज और जीवनशैली में बेवजह की बख़्शेरी से बचें। शिक्षा प्राप्त करने, किसी लाभकारी संपत्ति खरीदने या किसी सुनिर्गोजित उद्यम के लिए उधार लेना भले ही स्वीकार्य हो,लेकिन अपनी मनचाही जीवनशैली बनाए रखने के लिए कर्ज लेना उचित नहीं है।

निजी जीवन की बातें साझा न करें। कार्यालय में निजी संबंधों, आर्थिक मामलों,पारिवारिक मुद्दों और विवाह पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। अपने निजी जीवन के बारे में जो बातें आप साझा करते हैं,उसने नहीं,बल्किअपने आचरण,पेशेवर रवैये और ईमानदारी से अपने सहकर्मियों,सहयोगियों और नियोकाओं का सम्मान करें।

अपने करियर की शुरुआत से ही अपनी सेवानिवृत्ति की योजना बनाएं। ऐसा हमेशा नहीं होता कि सेवानिवृत्ति 40 या 50 वर्ष की आयु में ही हो। वास्तव में,सेवानिवृत्ति का अर्थ है उन दिनों के लिए वित्तीय,मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार होना जब काम,चाहे अच्छ

हो या बुरा, समाप्त हो जाएगा।

सेवानिवृत्ति के बाद जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए रूचियों और गतिविधियों की योजना बनाएं। यह लेखन,अभ्यापन,खेती,छोटा व्यवसाय चलाना,सामाजिक कार्य,यात्रा,पढ़ना या कोई अन्य अच्छी गतिविधि हो सकती है। काम करते समय धीरे-धीरे कुछ करने से आपको उसका अनुभव मिलेगा और आप देख पाएंगे कि यह संभव और व्यवहार्य है या नहीं।

अपनी दिनचर्या तय करने के लिए सेवानिवृत्ति का इंतज़ार न करें। दशकों तक काम करने के बाद,सेवानिवृत्ति के बाद जीवन में ढलना मुश्किल हो सकता है क्योंकि कोई और नियमित दिनचर्या या उद्देश्य नहीं होता। सेवानिवृत्ति जीवन का एक नया पड़ाव होना चाहिए, न कि अचानक आने वाला खालीपन।

अपनी छुट्टियों का भरपूर आनंद उठाएं। कोई किताब पढ़ें, कोई नया कौशल सीखें, कोई व्यक्तिगत परियोजना शुरू करें, परिवार के साथ यात्रा करें,स्वस्थ रहें या कोई शौक अपनाएं। आप अपना समय कैसे बिताते हैं,यह दर्शाता है कि आप भविष्य में अपना जीवन कैसे जियेंगे।

सेवानिवृत्ति और पेंशन के लिए बचत करना न भूलें। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बचत आपके स्वास्थ्य,सम्मान,स्वतंत्रता और वृद्धावस्था में आपकी जरूरतों के रक्षा करें। सेवानिवृत्ति के बाद अच्छे वित्तीय निर्णय लेना महत्वपूर्ण है,जिसमें स्वास्थ्य देखभाल,घर और व्यक्तिगत देखभाल की जरूरतों और आपात

कालीन खर्चों के भविष्य के खर्चों को ध्यान में रखा जाए। जब आप सेवानिवृत्त हों,तो जीवन से सेवानिवृत्त न हों। यह एक ऐसा समय हो सकता है जब आप उन सभी चीजों पर ध्यान दे सकें जो आप नौकरी के दौरान नहीं कर पाए थे। एक सुबह चाय पीते हुए,धूप में किताब पढ़ते हुए,यात्रा करते हुए,परिवार के साथ समय बिताते हुए,अपनी संपद की चीजें करते हुए,समाज की सेवा करते हुए या चाहें तो छोटा व्यवसाय चलाते हुए बिताएं।

याद रखें कि कार्यस्थल सुरक्षित नहीं है। नौकरी बदल सकती है,कार्यालय बदल सकता है,और कभी-कभी कार्यालयों को स्थानांतरित भी करना पड़ सकता है। आपके पास केवल आपकी क्षमता,आपकी बचत,आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य,आपकी प्रतिष्ठा और आपका जीवन ही शेष रह जाता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काम का आनंद लें,लेकिन काम को अपने जीवन पर हावी न होने दें। ईमानदारी से काम करें और अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को जानें,अपने परिवार का ख्याल रखें,आपका स्वास्थ्य की रक्षा करें, आर्थिक सुरक्षा बनाएं और समय रहते भविष्य के लिए योजना बनाएं। काम में सफल होना केवल एक अच्छा कामकाजी जीवन प्रदान करने वाला करियर नहीं है। एक सफल करियर यह है जो आपको एक अच्छा जीवन बनाने में मदद करवाता है-काम के दौरान भी और काम छोड़ने के बाद भी।

प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सली वाले बयान पर क्यों भड़का विपक्ष

अजय कुमार,लखनऊ,उत्तरप्रदेश

स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया गया भाषण देश की राजनीति में एक नया मोड़ ले आया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा...कि सरकार ने हथियार उठाने वाले नक्सलियों को लगभग समाप्त कर दिया है,लेकिन देश के भीतर अब एक नया खतरा पैदा हो गया है,जैसे उन्होंने दिमागी नक्सली कहा। उनके अनुसार,ये लोग बंदूकों से नहीं,बल्कि अपनी विचारधारा और विमर्श से देश को नुकसान पहुंचाने और युवाओं को गुमराह करने की ताक में रहते हैं। इस बयान के आते ही भारतीय राजनीति में एक भूचाल-सा आ गया। विपक्षी दलों ने इस शब्दावली को एक बड़े हथियार के रूप में लपक लिया और सरकार को खिलाफ एक अनोखा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस विरोध की शुरुआत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के एक बड़े बयान से हुई, जिनहोंने सार्वजनिक रूप से खुद को दिमागी नक्सली घोषित कर दिया। इसके बाद देहली में देखते आम आदमी पार्टी और कई अन्य क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने भी खुद को इस श्रेणी में खड़ा करना शुरू कर दिया। नेताओं द्वारा खुद को दिमागी नक्सली बनाने की यह होड़ सिर्फ एक तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं है,बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीतिक बिसात और रणनीतियां छिपी हुई हैं, जो आने वाले समय में देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करेंगी।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे पहला और गहरा असर राजनीतिक विमर्श के स्तर पर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल उन लोगों को घेरने के लिए किया था,जो सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं और जिनके बारे में सत्ता पक्ष का मानना है कि वे देश के विकास में बाधा डालते हैं। लेकिन विपक्ष ने इस आक्रामक हमले को एक रक्षात्मक कवच के बंदल दिया। पी. चिदंबरम और आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा खुद को दिमागी नक्सली कहना वास्तव में सरकार की परिभाषा का मजकूर उद्घातन और उसकी धार को कुंद करना है। विपक्ष का यह कदम यह संदेश देने की कोशिश है कि अगर सरकार पर सवाल उठाना,नीतियों की आलोचना करना

माध्यम से पहुंच जाते हैं,अधिकारी संतुष्ट,कानून व्यवस्था की रोज मईयते निकलती है तो निकलती रहे किसे परवाह है।

महंगाई का जमाना है ओर अब सभी लोगों के महंगे शौक हो गए है। पुलिस आरक्षक से लेकर कोतवाल तक ही नहीं इसके आगे सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे अधिकारी भी यह मानते है की उन्हे मिलने वाली तनखा से उनका पूरा नही होता है। अब इस नौकरी से जितनी सेवाए जनता की कर सकते है कर रहे है, पर सारी चीजें महंगी हैं और धन कम पड़ने लगा है। नौकरी के अलावा कोई व्यापार तो है नही जो रुपयों की बरसात हो,नौकरी के दौरान अगर कुछ बिना किए सार्थक हो रहा है और कही न जाने,कुछ किए बिना,न करने के लिए कोई सेवा मिलने से महंगाई डायन से मुक्ति मिले तो इस न करने का लाभ लेने में किस ससुरे को तकलीफ है। जब अफसर न करने का लाभ ले रहे है, जिन्हे जनता की सेवा के लिए ऑफिस में काम करना चाहिए वे सभी कर्मचारी सेवा करने के कारण रिटायर होस तक मर खप के रह जाता है। जनता के रक्षक पुलिस इस तरह उनकी भक्षक बन जाती है तभी तो उन पर से जनता का विश्वास उठ गया है।

यदि सभी विभाग प्रमुख अपने वेतन से नए नौकरों को रखकर अपने बंगले और घरेलू सेवाएं कराने में सक्षम होते हुए भी यह न करे तो यह शोषण का प्रतीक नहीं माना जाएगा। ये अफसर बंगलों से हटाकर अपने ही विभागियों सेवाएं लगाई गई है वहाँ आम लोगों की सेवाएं करेगा? कदापि नहीं उसे तो वहाँ से सारे गलत काम करने वाले सटोरिये,जुएवाज,कच्ची पक्की अवैध रूप से बचेंगे,जैसे कामों के अलावा कानून तोड़ने,क्षेत्र के लोगों को आतंकित करने वालों की सेवाएं मिलने लगेगी तो किस बात का संकोच करेगा। पुलिस के आला अफसर को थोड़ी पता है की वह अपने क्षेत्र में कैसा काम कर रहा है,वह उस क्षेत्र के ऐसे लोगो को सलाम ठेकने जाएगा जो राजनीति में पावर रखते है जो शासन प्रशासन में दखल रकते है उनकी सिफ़ारिश या उनके दो बोल अधिकारियों तक इनके

और युवाओं को जागरूक करना नक्सलवाद है,तो वे गर्व से इस ठपे को स्वीकार करते हैं। इससे देश की राजनीति में एक नया ध्रुवीकरण पैदा हो गया है,जहां एक तरफ सरकार देशभक्ति और राष्ट्रवाद के नाम पर असहमति को दबाने का प्रयास करती दिख रही है,वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस असहमति को लोकतंत्र की आत्मा बताकर खुद को पीड़ित और क्रांतिकारी के रूप में पेश कर रहा है। इस राजनीतिक उपटपक का दूसरा बड़ा पहलू युवाओं और देश के बौद्धिक वर्ग पर पड़ने वाला प्रभाव है। गुमराह करने की ताक में रहते हैं। इस रूप से युवाओं का जिक्र किया था कि उन्हें ये दिमागी नक्सली भटका रहे हैं। भारत एक युवा-प्रधान देश है और युवाओं की राय चुनाने के नतीजे को पलटने की ताकत रखती है। विपक्ष द्वारा खुद को दिमागी नक्सली बताना युवाओं के एक बड़े वर्ग को आकर्षित कर सकता है,खासकर उन छात्रों और बुद्धिजीवियों को,जो विश्वविद्यालयों में सरकार की शिक्षा नीतियों,बेरोजगारी और अभिव्यक्ति की आजादी पर बहस करते हैं। जब बड़े नेता खुद पर यह ठप्पा लगाते हैं,तो वे युवाओं के साथ विपक्ष के विपरीत, सत्ता पक्ष इस विमर्श को स्थापित करने में जुटेगा कि विपक्ष देश के विकास को पटरी से उतारने वाली ताकतों के साथ खड़ा दिशा और दशा तय करेगी।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे पहला और गहरा असर राजनीतिक विमर्श के स्तर पर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल उन लोगों को घेरने के लिए किया था,जो सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं और जिनके बारे में सत्ता पक्ष का मानना है कि वे देश के विकास में बाधा डालते हैं। लेकिन विपक्ष ने इस आक्रामक हमले को एक रक्षात्मक कवच के बंदल दिया। पी. चिदंबरम और आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा खुद को दिमागी नक्सली कहना वास्तव में सरकार की परिभाषा का मजकूर उद्घातन और उसकी धार को कुंद करना है। विपक्ष का यह कदम यह संदेश देने की कोशिश है कि अगर सरकार पर सवाल उठाना,नीतियों की आलोचना करना

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटीक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

CMYK

भाग-2

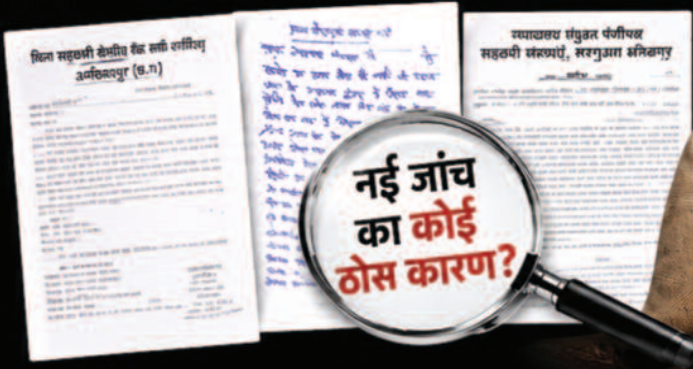
सीईओ चंद्राकर की नई जांच पर बड़ा सवाल

'री-एंट्री' की रहस्यमयी तैयारी ?

उठते बड़े सवाल

- ❓ नई जांच का आधार क्या है? नया सबूत क्या है?
- ❓ क्या पूर्व जांच रिपोर्ट में कोई गंभीर त्रुटि सिद्ध हुई?
- ❓ क्या न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया?
- ❓ एफआईआर, विभागीय कार्रवाई और सेवा समाप्ति के समय बेगुनाही साबित करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया?
- ❓ क्या दोबारा जांच केवल 'री-एंट्री' का रास्ता बनाने के लिए?

35.78 लाख के फसल बीमा घोटाले में घोटालेबाजों को फिर बैंक में एंट्री देने की कवायद!



क्या यही है मकसद?

- पुरानी जांच के निष्कर्षों को कमजोर करना?
- जिम्मेदारों को बचाना?
- घोटालेबाजों की वापसी का रास्ता साफ करना?



क्या 35.78 लाख के घोटाले में फिर से 'री-एंट्री' की पटकथा लिखी जा रही है?

पहले जांच में दोषी,फिर एफआईआर और सेवा समाप्ति...अब चुपके से 'री-एंट्री' की तैयारी? 35.78 लाख के फसल बीमा मामले में सीईओ चंद्राकर की नई कवायद

घोटालेबाजों की वापसी का रास्ता तैयार? 35.78 लाख के फसल बीमा मामले में सीईओ चंद्राकर की 'गुणचुप जांच' पर सवाल

- नई जांच से किसकी राह आसान होगी? 35.78 लाख के प्रकरण में जवाबदेही पर बड़े सवाल 'संरक्षण' के आरोपों का जवाब कौन देगा?
- नई जांच के पीछे किसकी कवायद? 35.78 लाख के प्रकरण में 'री-एंट्री' की तैयारी पर बड़े सवाल
- फसल बीमा घोटाले में 'री-एंट्री' का रास्ता! पहले जांच में दोषी,अब कनिष्ठ अधिकारियों से दोबारा जांच
- जिस जांच में दोषी पाए गए,उसी मामले में फिर जांच क्यों? फसल बीमा प्रकरण में सीईओ की कवायद पर सवाल

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर, 18 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

इस पूरे घटनाक्रम ने बैंक के सीईओ श्रीकांत चंद्राकर की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह नहीं है कि किसी कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है या नहीं-नियमित प्रक्रिया के तहत उसे अपना बचाव रखने का अवसर मिलना चाहिए,सवाल यह है कि क्या उस अवसर को देने के नाम पर 35.78 लाख रुपये के मूल प्रकरण की जांच फिर से उसी तरीके से की जा रही है,जिससे पहले की जांच और कार्रवाई का प्रभाव बचल जाए? यदि सीईओ के स्तर से नई जांच गठित की गई है तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि इसका लिखित आदेश क्या है? क्या कोई नया दस्तावेज सामने आया है? क्या पूर्व जांच में कोई प्रक्रियागत कमी पाई गई? क्या 23 जनवरी 2026 के संयुक्त पंजीयक आदेश में ऐसी कोई दिशा है जिसके अनुपालन के लिए जांच समिति आवश्यक है? क्या नई रिपोर्ट केवल बचाव का अवसर देने तक सीमित रहेगी या उसके आधार पर 5 जून 2023 के सेवा समाप्ति आदेश पर पुनर्विचार होगा? इन सवालों का जवाब सार्वजनिक होना चाहिए।

सबसे बड़ा सवाल : 35.78 लाख रुपये और किसानों का क्या हुआ?

इस प्रकरण का सबसे अहम पक्ष किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं,बल्कि किसानों की फसल बीमा राशि है,उपलब्ध दस्तावेजों में 35.78 लाख रुपये की राशि का उल्लेख है, 5 जून 2023 के बैंक आदेश में भी जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर इस राशि से संबंधित अनियमितता और चार कर्मचारियों की जवाबदेही का उल्लेख है,ऐसे में नई जांच का केंद्र भी सबसे पहले यह होना चाहिए कि किसानों की राशि का वास्तविक हिसाब क्या है, कितने किसानों के खातों से राशि का कथित फर्जी आहरण हुआ? प्रत्येक किसान के नाम पर कितनी राशि दर्ज थी? कुल 35.78 लाख रुपये में से कितनी राशि किसान खाते या माध्यम से निकली? कितनी राशि की वसूली हुई? कितनी राशि अब भी लंबित है? क्या प्रभावित किसानों को उनकी राशि वापस की गई? क्या बैंक ने इस संबंध में ऑडिट या विशेष ऑडिट कराया? ये सवाल आज भी उत्तेजित हैं जितने एफआईआर और विभागीय कार्रवाई के समय थे,यदि नई जांच इन मूल सवालों के जवाब तलाशने के बजाय केवल कर्मचारियों की सेवा

दैनिक घटती-घटना ने पहले भी उठाया था मामला...

इस प्रकरण पर दैनिक घटती-घटना/कोरिया समाचार,सोमवार 09 मार्च 2026, पृष्ठ 6 पर 'सहकारी बैंक में 'संरक्षण' का संदेह?' शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी है। उसमें 35.78 लाख रुपये के फसल बीमा प्रकरण,एफआईआर,निलंबन, सेवा समाप्ति और आगे की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे। यह सरकारी जांच दस्तावेज नहीं है,लेकिन इससे स्पष्ट है कि मामला पहले से सार्वजनिक चर्चा का विषय रहा है, यदि अब नई जांच वास्तव में गठित की गई है तो बैंक या सहकारिता विभाग को यह भी बताना चाहिए कि पूर्व प्रकाशित रिपोर्ट में उठाए गए सवालों पर कोई आधिकारिक परीक्षण हुआ या नहीं।

क्या पुरानी जांच को नई रिपोर्ट से बदला जा सकता है?

यदि किसी जांच के आधार पर विभागीय कार्रवाई हुई और बाद में उसमें कमी पाई गई,तो उस कमी को सक्षम प्राधिकारी के आदेश से स्पष्ट किया जाना चाहिए। केवल नई समिति बनाकर पुराने निष्कर्षों के विपरीत रिपोर्ट आने से पहले की कार्रवाई अपने आप समाप्त नहीं हो जाती,नई जांच में पुराने निष्कर्ष सही पाए जाएं तो उन्हें बरकरार रखना होगा। यदि नए दस्तावेज से अलग तथ्य सामने आते हैं तो उसका खोत और प्रमाण रिकॉर्ड पर होना चाहिए। और यदि पुरानी जांच प्रक्रियागत रूप से त्रुटिपूर्ण थी तो उस त्रुटि की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए।

बहाली के रास्ते तलाशती है, तो यह प्रक्रिया की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़ा करेगा।

अब बैंक प्रबंधन से तीथे सवाल...

- पहला सवाल-नई जांच समिति गठित करने का लिखित आदेश कहाँ है और उसका क्रमांक क्या है?
- दूसरा सवाल-भैयाथान और सूरजपुर शाखा के शाखा प्रबंधकों को ही जांच की जिम्मेदारी देने का आधार क्या है?
- तीसरा सवाल-क्या नई जांच 23 जनवरी 2026 के संयुक्त पंजीयक आदेश के अनुपालन में है? यदि हाँ, तो आदेश को किस निदेश के तहत?
- चौथा सवाल-क्या 5 जून 2023 के आदेश क्रमांक 383 में उल्लिखित जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट को नई समिति पुनः जांचेगी?
- पांचवां सवाल-क्या कोई नया तथ्य, नया दस्तावेज या नई वित्तीय जानकारी सामने आई है?
- छठा सवाल-35.78 लाख रुपये की राशि में से अब तक कितनी वसूली हुई है और कितनी राशि शेष है?
- सातवां सवाल-क्या प्रभावित किसानों को राशि वापस की गई है?
- आठवां सवाल-क्या नई जांच रिपोर्ट के आधार पर जगदीश प्रसाद कुशवाहा या अन्य संबंधित कर्मचारियों की सेवा में

- वापसी का प्रस्ताव है?
- नौवां सवाल-यदि ऐसा प्रस्ताव है तो उसका कानूनी और सेवा नियमों के तहत आधार क्या है?
- दसवां सवाल-क्या जांच समिति को किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए स्वतंत्र रूप से साक्ष्य जुटाने की अनुमति है या पहले से कोई निष्कर्ष तय किया गया है? इन सवालों के जवाब मिलने पर ही स्पष्ट होगा कि नई जांच वास्तव में न्यायालयीन आदेश की प्रक्रिया पूरी करने की कवायद है या पुराने मामले में आरोपित कर्मचारियों की 'री-एंट्री' का रास्ता खोलने की कोशिश।

अब नजर बैंक प्रबंधन,सहकारिता विभाग और शासन के जवाब पर...

दैनिक घटती-घटना ने इस मामले को पहले भी प्रमुखता से उठाया था, 9 मार्च 2026 की 'सहकारी बैंक में 'संरक्षण' का संदेह?' रिपोर्ट में भी 35.78 लाख रुपये के फसल बीमा प्रकरण,कार्रवाई और आगे की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए थे,उस समय यह सवाल सामने आया था कि क्या कार्रवाई की दिशा बदलकर आरोपित कर्मचारियों के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है,अब नई जांच की कथित कवायद ने उसी सवाल को फिर सामने ला दिया है,अब कथित नई जांच की खबर सामने आने के बाद मामला फिर चर्चा में है,बैंक प्रबंधन, सहकारिता विभाग और शासन के सामने

5 जून 2023 की कार्रवाई के बाद

23 जनवरी 2026 का आदेश,अब नई जांच से किसकी राह आसान होगी?

35.78 लाख के खेल में जांच पर जांच! पुराने दोषियों की वापसी की कवायद न बढ़ाया रहस्य

पहले जिला प्रशासन की जांच,फिर बैंक की कार्रवाई...अब दोबारा जांच क्यों?

फसल बीमा प्रकरण में उठे बड़े सवाल...

दोषी कौन,जांच कौन और फायदा किसे? 35.78 लाख के फसल बीमा प्रकरण में नई कवायद से सवाल...

पारदर्शिता के साथ यह बताने की जिम्मेदारी है कि 05.06.2023 के आदेश क्रमांक 383 और 23.01.2026 के प्रकरण क्रमांक 17/55(2)/2023 के आदेश के बाद नई जांच की जरूरत क्यों पड़ी,यदि नई समिति बनाई गई है तो उसका आदेश सार्वजनिक किया जाना चाहिए,सबसे महत्वपूर्ण यह कि किसी भी नई प्रक्रिया का केंद्र किसान और उनकी राशि होनी चाहिए। सेवा बहाली यदि नियमों के तहत संभव है तो वह भी पारदर्शी प्रक्रिया से हो, लेकिन 35.78 लाख रुपये के मूल प्रकरण की जवाबदेही और वसूली का सवाल उससे दबना नहीं चाहिए,जब तक इन सवालों के स्पष्ट जवाब सामने नहीं आते,तब तक 35.78 लाख रुपये के फसल बीमा प्रकरण में नई जांच की कथित कवायद पर सवाल उठते रहेंगे। दस्तावेजों का क्रम यह बताता है कि मामला पहले ही कई स्तरों से गुजर चुका है। अब यदि फिर से जांच हो रही है तो किस आदेश के तहत, किस उद्देश्य से और किस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए,यह सार्वजनिक होना चाहिए,दैनिक घटती-घटना का सवाल सीधा है कि यदि पुरानी जांच गलत थी तो उसे गलत साबित करने वाला नया दस्तावेज सामने लाया जाए,यदि प्रक्रिया अधूरी थी तो उसे नियमों के तहत पूरा किया जाए और यदि 35.78 लाख रुपये की अनियमितता के निष्कर्ष कायम हैं तो किसानों की राशि की वसूली और जिम्मेदारी तय करने की प्राथमिकता दी जाए,लेकिन चोरी-छिपे नई जांच, कथित गोपनीय निदेश और किसी पक्ष के पक्ष में रिपोर्ट तैयार कराने की चर्चा,यदि सही है, तो यह सहकारी व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल है। इसलिए बैंक प्रबंधन को आगे आकर स्थिति साफ करनी चाहिए।

'संरक्षण' के आरोपों का जवाब कौन देगा?

इस पूरे घटनाक्रम ने बैंक के सीईओ श्रीकांत चंद्राकर की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं,सवाल यह नहीं है कि किसी कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है या नहीं, नियमित प्रक्रिया के तहत उसे अपना बचाव रखने का अवसर मिलना चाहिए था जो उसे पूर्व में मिला भी पर अपने आपको कार्यवाही से बचा नहीं सके,जांच, एफआईआर और कार्रवाई के बाद अब फिर सवाल क्यों? जब 35.78 लाख रुपये के फसल बीमा प्रकरण में पहले ही विस्तृत जांच समिति गठित की गई थी और जांच के दौरान एक-एक साक्ष्य,दस्तावेज जांच, वित्तीय अनियमितता को जांच प्रतिवेदन में दर्ज



किया गया था,तभी मामला एफआईआर तक पहुंचा और आरोपित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की स्थिति बनी, यदि उस समय संबंधित लोगों को लगता था कि वे दोषी नहीं हैं अथवा जांच में उनके साथ अन्याय हुआ है, तो उन्हें उसी समय अपनी बेगुनाही के पक्ष में सभी साक्ष्य प्रस्तुत करने और जांच के निष्कर्षों को चुनौती देने का पूरा अवसर था, अब सवाल यह है कि वर्षों बाद अचानक ऐसी कौन-सी नई परिस्थिति या नया साक्ष्य सामने आ गया है, जिसके आधार पर पहले से जांच और कार्रवाई किए जा चुके प्रकरण को फिर से जांच के लिए खोला जा रहा है? क्या पूर्व जांच रिपोर्ट में कोई गंभीर त्रुटि साबित हुई है? क्या उस जांच को सक्षम प्राधिकारी ने निरस्त किया है? या फिर संबंधित आरोपितों को न्यायालय ने इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है? यदि न्यायालय ने दोषमुक्त नहीं किया है और पूर्व जांच रिपोर्ट को भी विधिवत निरस्त नहीं किया गया है, तो फिर नई जांच का औचित्य क्या है? क्या केवल दोबारा जांच कर लेने से पहले की जांच में दर्ज निष्कर्ष और जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी? सबसे अहम सवाल यही है कि जिस समय एफआईआर हुई, विभागीय कार्रवाई हुई और सेवा समाप्ति तक की कार्रवाई पहुंची, उस समय अपनी बेगुनाही साबित करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? अब यदि नई जांच हो रही है, तो बैंक प्रबंधन को स्पष्ट करना चाहिए कि नई जांच का आधार क्या है, नया साक्ष्य क्या है और क्या किसी न्यायालय ने संबंधित आरोपितों को इस प्रकरण में दोषमुक्त किया है? वरना यह सवाल उठाना स्वाभाविक है कि कहीं पुरानी जांच के निष्कर्षों को बदलकर फिर से 'री-एंट्री' का रास्ता तो तैयार नहीं किया जा रहा?

भारतीय व्यापार महोत्सव में छत्तीसगढ़ के व्यापारिक प्रतिनिधियों ने बढ़ाया प्रदेश का गौरव

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित महोत्सव में एमसीबी सहित छत्तीसगढ़ के व्यापारियों की गरिमामयी सहभागिता

-संवाददाता-

मनैंद्रगढ़, 18 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। देश के व्यापारिक एवं औद्योगिक क्षेत्र को नई दिशा देने तथा देशभर के व्यापारियों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से 14 एवं 15 अगस्त को भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव का गरिमामय आयोजन किया गया, राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के साथ-साथ मनैंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले के व्यापारिक प्रतिनिधियों ने भी उत्साहपूर्वक सहभागिता कर प्रदेश के व्यापारिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। कार्यक्रम में कन्फेडरेशन

ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर परवाना के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ से जुड़े व्यापारियों एवं प्रतिनिधियों ने सहभागिता की महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से आए व्यापारी, उद्यमी और उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हुए, इस दौरान व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार,आधुनिक तकनीक के उपयोग, डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-कॉमर्स तथा नए बाजारों की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया, भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्देश्य देश के व्यापारिक समुदाय को एक सशक्त राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराना,स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करना तथा छोटे एवं मध्यम व्यापारियों के लिए नए



कारोबारी अवसर उपलब्ध कराना रहा, आयोजन में डिजिटल भुगतान,लॉजिस्टिक्स,नवाचार,ई-कॉमर्स और बदलते कारोबारी परिवेश जैसे विषयों पर भी विशेष चर्चा हुई, व्यापारियों ने देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिनिधियों के

साथ संवाद कर आपसी सहयोग और व्यापार विस्तार की संभावनाओं पर विचार साझा किए।

एमसीबी सहित छत्तीसगढ़ की सक्रिय भागीदारी- अमर परवाना के नेतृत्व में रघुनाथ पोद्दार,रफीक मेमन, शोएब अख्तर,मनीष अग्रहरि,प्रमोद सिंह,रवि गुप्ता,सोहमप्रद सिराज,संदीप दुआ,कृति सोनी,माखन जायसवाल,अरविंद सराफ सहित अन्य व्यापारिक प्रतिनिधियों ने महोत्सव में छत्तीसगढ़ की सहभागिता दर्ज कराई,प्रतिनिधियों ने कहा कि इस तरह के राष्ट्रीय स्तर के आयोजन व्यापारियों को देश के बदलते कारोबारी परिवेश को समझने,नई तकनीकों से

परिचित होने और विभिन्न राज्यों के व्यापारिक संगठनों के साथ संपर्क स्थापित करने का अवसर देते हैं, खासकर छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए ऐसे मंच नए बाजारों तक पहुंच बनाने और व्यापार को व्यापक स्तर पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं,प्रतिनिधियों ने महोत्सव के दौरान विभिन्न व्यापारिक संगठनों एवं उद्यमियों से संवाद करते हुए छत्तीसगढ़ में व्यापार की संभावनाओं, स्थानीय उत्पादों, बाजार विस्तार और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के अवसरों पर भी चर्चा की।

एमसीबी कलेक्टर कार्यालय के भूमिपूजन को लेकर मंत्री और पूर्व विधायक आमने-सामने गुलाब कमरो का पलटवार...स्वास्थ्य मंत्री जी...चश्मे की जरूरत आपको है,मुझे नहीं...कार्यालय की जगह,प्रोटोकॉल और जिले के संघर्ष को लेकर सियासत तेज

खबर विशेष

मनेंद्रगढ़, 18 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) के संयुक्त जिला कलेक्टर कार्यालय भवन के निर्माण कार्य के भूमिपूजन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है,भूमिपूजन कार्यक्रम के बाद पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए कार्यक्रम की तैयारियों,जनप्रतिनिधियों की कथित उपेक्षा और कलेक्टर कार्यालय के लिए चयनित स्थान को लेकर सवाल खड़े किए हैं, दोनों नेताओं के बयानों के बाद कलेक्टर कार्यालय का भूमिपूजन राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने आरोप लगाया कि कलेक्टर कार्यालय जैसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक भवन के निर्माण कार्य का शुभारंभ आनन-फानन में किया गया,उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए न तो उचित प्रोटोकॉल तैयार किया गया,न आमंत्रण पत्र जारी किए गए और न ही क्षेत्र के सांसद, जनप्रतिनिधियों तथा उन लोगों को आमंत्रित किया गया,जिन्होंने एमसीबी जिले के निर्माण की मांग को लेकर लंबे समय तक संघर्ष किया,आंदोलन किए और जेल तक गए।

कलेक्टर कार्यालय की जगह को लेकर सवाल...

गुलाब कमरो ने कहा कि उन्होंने क्षेत्रवासियों की मांग और जनभावनाओं को देखते हुए कई बार पत्र लिखकर कलेक्टर कार्यालय ऐसी जगह बनाए जाने की मांग की थी,जो जनकपुर,

मंत्री ने मंच से दिया जवाब...

भूमिपूजन कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने उन्हें केवल कलेक्टर और एसपी दिए थे, 'बाबू भी नहीं मिले थे, 'कलेक्टर कार्यालय के स्थान को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि जनकपुर और कोटाडोल से लोग पांच किलोमीटर आगे भी जा सकते हैं,मंत्री ने कहा कि हाईवे पर जिला पंचायत कार्यालय का निर्माण हो रहा है और जहां जमीन उपलब्ध हुई है, वहां कलेक्टर,एसपी,खनिज और परिवहन विभाग के कार्यालय बनाए जाएंगे,उन्होंने विकास कार्यों पर सवाल उठाने वालों से 'पावर वाला चश्मा'लगाने की बात कही,भरतपुर क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने करीब एक हजार करोड़ रुपये के विकास कार्य होने का दावा भी किया और कहा कि विकास कार्यों का विरोध करने के बजाय उसमें सहयोग किया जाना चाहिए।

कोटाडोल और भरतपुर जैसे दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए सुगम हो तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप स्थित हो, उनका कहना है कि इसके बावजूद जनभावनाओं और सुझावों की अनदेखी करते हुए जल्दबाजी में स्थान तय किया गया,उन्होंने सवाल उठाया कि जब पर्याप्त तैयारी नहीं थी,जनप्रतिनिधियों से चर्चा नहीं हुई और जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित नहीं की गई तो निर्माण कार्य के शुभारंभ में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई?

चश्मे की जरूरत आपको है,मुझे नहीं...

मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने कहा...''स्वास्थ्य मंत्री जी, चश्मे की जरूरत आपको है, मुझे नहीं,' उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस सरकार ने एमसीबी जिले का निर्माण नहीं किया होता तो आज भाजपा सरकार और मंत्री को कलेक्टर कार्यालय के भूमिपूजन का श्रेय लेने का

अवसर ही नहीं मिलता,कमरो ने भाजपा सरकार के पिछले 15 वर्षों के कार्यकाल पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि जब प्रदेश में लंबे समय तक भाजपा की सरकार थी और मंत्री स्वयं विधायक रहे, तब एमसीबी जिला क्यों नहीं बनाया गया और उस दौरान कलेक्टर कार्यालय का भूमिपूजन क्यों नहीं हुआ?

सड़कों के श्रेय पर भी राजनीतिक वार

पूर्व विधायक ने भरतपुर क्षेत्र में हो रहे सड़क निर्माण कार्यों के श्रेय को लेकर भी मंत्री पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि जिन सड़कों को भाजपा सरकार अपनी उपलब्धियों के रूप में गिना रही है,उनमें क्षेत्र की सांसद और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के प्रयासों की भी भूमिका है,उन्होंने कहा कि 'जनता सब देख रही है-जिला कांग्रेस सरकार ने बनाया,सड़कें सांसद के प्रयासों से आ रही हैं और अब श्रेय लेने भाजपा मैदान में उतर गई है। '



मंत्री के इस बयान पर भी कमरो ने आपत्ति जताई कि जनकपुर और कोटाडोल से लोग पांच किलोमीटर आगे जा सकते हैं,उन्होंने कहा कि दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों के आदिवासी और ग्रामीण परिवारों की वास्तविक परिस्थितियों को समझना जरूरी है,साधन-बिहीन ग्रामीणों के लिए अतिरिक्त दूरी तय करना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि मंत्री एद की गरिमा के अनुरूप ऐसे बयानों से बचना चाहिए,गुलाब कमरो ने कहा कि एमसीबी जिला केवल प्रशासनिक इकाई नहीं,बल्कि क्षेत्र की जनता के लंबे संघर्ष और जनभावनाओं का परिणाम है,इसलिए जिले के महत्वपूर्ण संस्थानों के निर्माण जैसे ऐतिहासिक अदसरों पर संघर्ष करने वाले लोगों,जनप्रतिनिधियों और जनता की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए,उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों का विरोध उनका उद्देश्य नहीं है,लेकिन विकास के साथ पारदर्शिता,लोकतांत्रिक परंपराओं और क्षेत्र की वास्तविक जरूरतों का सम्मान भी जरूरी है।

दिल्ली में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मिले भाजपा युवा नेता राहुल खटीक,कोरिया में फूड प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोरेज की मांग बैकुंठपुर-कोरिया में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने को लेकर हुई चर्चा

-संवाददाता-

बैकुंठपुर, 18 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। दिल्ली प्रवास के दौरान भाजपा युवा नेता राहुल खटीक ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री एवं अभिनेता चिराग पासवान से मुलाकात कर कोरिया जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग,कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस तथा कृषि आधारित रोजगार सुविधाओं की स्थापना को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की,इस दौरान क्षेत्र की कृषि क्षमता, स्थानीय उत्पादों के प्रसंस्करण और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने से जुड़े विषयों को केंद्रीय मंत्री के समक्ष प्रमुखता से रखा गया। राहुल खटीक ने केंद्रीय मंत्री को सौंपे गए आवेदन में बताया कि कोरिया जिला कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र है,जिले के किसान कृषि एवं उससे जुड़े कार्यों पर काफी हद तक निर्भर हैं,क्षेत्र में धान,मक्का,दलहन,फल-सब्जियों सहित विभिन्न स्थानीय कृषि एवं वनोपज का उत्पादन होता है,लेकिन पर्याप्त प्रसंस्करण, भंडारण और बेहतर बाजार व्यवस्था के अभाव में किसानों को अपनी उपज का अपेक्षित मूल्य नहीं मिल पाता,उन्होंने कहा कि यदि जिले में आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा विकसित की जाती है तो कृषि उत्पादों को सुरक्षित रखने के साथ उनका स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन किया जा सकेगा, इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ेगी और फसल खराब होने की समस्या में भी कमी आएगी।

फूड प्रोसेसिंग यूनिट और मिनी प्रोसेसिंग सेंटर की मांग-केंद्रीय मंत्री के समक्ष कोरिया जिले में आधुनिक Food Processing Unit,Cold Storage एवं Warehouse स्थापित करने की मांग रखी गई, इसके साथ ही कोदो-कूटकी,मक्का, दलहन तथा अन्य स्थानीय कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए Mini Processing Center स्थापित करने का प्रस्ताव भी दिया गया,आवेदन में महिला स्व-सहायता समूहों और ग्रामीण युवाओं को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण एवं अनुदान उपलब्ध कराने की मांग की गई। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना सहित अन्य योजनाओं के विशेष शिविर आयोजित कर ग्रामीणों और छोटे उद्यमियों को योजनाओं का लाभ दिलाने की बात भी रखी गई।



पैकेजिंग,ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर जोर-

राहुल खटीक ने किसानों के लिए पैकेजिंग,ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग की सुविधाएं विकसित करने तथा कृषि आधारित लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई,उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बेहतर पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ बड़े बाजार तक पहुंचाया जाए तो इससे किसानों के साथ-साथ स्थानीय युवाओं और महिला समूहों को भी आर्थिक लाभ मिल सकता है,इसके अलावा किसान उत्पादक संगठनों को विशेष आर्थिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने की मांग भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखी गई, ताकि किसान सामूहिक रूप से उत्पादन,प्रसंस्करण और विपणन की गतिविधियों से जुड़ सकें।

रोजगार के नए अवसरों की उम्मीद-राहुल खटीक ने कहा कि कोरिया में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकसित होने से कृषि क्षेत्र को नई मजबूती मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे शहरों की ओर पलायन करने के बजाय अपने क्षेत्र में ही काम के अवसर मिल सकेंगे,उन्होंने कहा कि बैकुंठपुर-कोरिया क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों की पर्याप्त संभावनाएं हैं, जरूरत इन संभावनाओं को व्यवस्थित रूप से विकसित करने की है,केंद्रीय मंत्री के समक्ष क्षेत्र की मांगों को प्रमुखता से रखा गया है और उम्मीद है कि इस दिशा में सकारात्मक पहल होगी,उन्होंने कहा कि कोरिया के विकास और युवाओं के रोजगार के लिए प्रयास निरंतर जारी रहेगा।

कोरिया जन सहयोग समिति की विशेष बैठक क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान पर मंथन

लंबित मांगों की समीक्षा,नए ज्ञापन और गंभीर मामलों में PIL दायर करने की बनी रणनीति

-संवाददाता-

कोरिया/सोनहत, 18 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोरिया जन सहयोग समिति की विशेष बैठक आनंदपुर-कटगोड़ी स्थित नर्सरी परिसर में आयोजित की गई, बैठक में क्षेत्र की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं,नागरिक सुविधाओं,अधूरे विकास कार्यों,ग्रामीणों की समस्याओं और जनहित से जुड़े लंबित मामलों पर विस्तार से मंथन किया गया, समिति के सदस्यों ने कहा कि क्षेत्र का समग्र विकास,आम जनता को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना तथा ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए लगातार प्रयास करना समिति की प्राथमिकता है। बैठक के दौरान समिति द्वारा पूर्व में शासन-प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापनों एवं मांग पत्रों की समीक्षा की गई, सदस्यों ने लंबित मांगों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा कि कई महत्वपूर्ण मुद्दे अब भी समाधान की प्रतीक्षा में हैं,इन मामलों को लेकर आगामी दिनों में संबंधित विभागों और सक्षम अधिकारियों से पुनः संपर्क कर ठोस कार्रवाई की मांग की जाएगी,समिति के अध्यक्ष पुष्पेंद्र राजवाड़े ने कहा कि कोरिया जन सहयोग समिति लगातार जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाती रही है,स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समिति ने यह संकल्प दोहराया है कि क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष जारी रहेगा,उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन जनता की जायज मांगों के प्रति उदासीन रवैया अपनाता है तो समिति लोकतांत्रिक तरीके से जनआंदोलन से लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई तक का रास्ता अपनाएगी, समिति के सचिव राजू साहू ने कहा कि पूर्व में सौंपे गए कई महत्वपूर्ण ज्ञापनों पर अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है,समिति ने निष्पादित और लंबित मामलों की सूची तैयार की है तथा लंबित मांगों के शीघ्र निराकरण के



लिए शासन-प्रशासन का ध्यान पुनः आकर्षित किया जाएगा।

वन क्षेत्र के निर्माण कार्यों की जांच की मांग-बैठक में वन विभाग तथा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व क्षेत्र में निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया,सदस्यों ने इन कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की, समिति का कहना है कि यदि जांच में किसी प्रकार अनियमितता प्रमाणित होती है तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

सेमरिया पुलिस और अधूरे विद्युतीकरण का मुद्दा-सेमरिया में लंबे समय से जर्जर एवं टूटी पुलिस के कारण ग्रामीणों को हो रही परेशानी पर भी बैठक में चर्चा हुई,सदस्यों ने कहा कि पुलिस की स्थिति से आवागमन प्रभावित होने के साथ ग्रामीणों की आशंका भी बनी रहती है, समिति ने पुलिस का शीघ्र निर्माण कराने की मांग की,इसी तरह चंदाहा-बंशीपुर-कचोहर क्षेत्र में अधूरे विद्युतीकरण का मुद्दा उठाया गया, ग्रामीणों को जल्द बिजली सुविधा उपलब्ध कराने की मांग करते हुए समिति ने संबंधित

विभाग से आवश्यक कार्रवाई की अपेक्षा जताई, सोनहत के धुम्माछण्ड क्षेत्र में ली-वोल्टेज की समस्या और जर्जर सड़कों की मरम्मत का विषय भी बैठक में प्रमुखता से रखा गया,इसके अलावा विभिन्न ग्राम पंचायतों में लंबित निर्माण एवं जनसुविधा संबंधी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने, वन क्षेत्र से लगे ग्रामीणों के अधिकार,मुआवजा, मानव-वन्यजीव संघर्ष और स्थानीय निवासियों से जुड़े विषयों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

प्रशासनिक कार्रवाई के साथ विधिक रास्ते पर भी जोर-बैठक में उपस्थित विधिक सलाहकारों ने जनहित से जुड़े मामलों में प्रशासनिक एवं कानूनी स्तर पर आगे की कार्रवाई को लेकर मार्गदर्शन दिया, अधिवक्ता राजा अली अंसारी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की समस्याओं और मांगों को शासन-प्रशासन तक पहुंचाना नागरिकों का अधिकार है,यदि पूर्व में सौंपे गए ज्ञापनों पर कार्रवाई नहीं होती है तो जनहित से जुड़े मामलों को न्यायालय के समक्ष भी रखा जा सकता है,अधिवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि क्षेत्रीय समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए प्रशासनिक और विधिक दोनों स्तरों पर मजबूती से प्रयास आवश्यक है, जिन मामलों

में अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, उम्में उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी रणनीति तैयार की जाएगी।

नए ज्ञापन के साथ पीआईएल की तैयारी-बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सेमरिया पुलिस,अधूरा विद्युतीकरण,सोनहत क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं सहित अन्य लंबित जनहित के मुद्दों को लेकर जल्द ही सक्षम अधिकारियों से मुलाकात कर विस्तृत ज्ञापन सौंपा जाएगा, वहीं वन विभाग तथा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व क्षेत्र में निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं जैसे गंभीर मामलों में आवश्यक दस्तावेज एवं तथ्यों का संकलन कर जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करने की दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया, समिति का कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया का उद्देश्य मामलों की निष्पक्ष जांच और जनहित में उचित कार्रवाई सुनिश्चित कराना होगा, समिति ने स्पष्ट किया कि किसी भी कार्रवाई से पहले संबंधित दस्तावेजों, तथ्यों और उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा।

अधिवक्ताओं और सदस्यों की मौजूदगी-बैठक में विधिक सलाहकार अधिवक्ता राजा अली अंसारी,अधिवक्ता जयचंद सोनपाकर,अधिवक्ता अरविंद सिंह एवं अधिवक्ता शहजाद अंसारी उपस्थित रहे। इसके अलावा समिति के अध्यक्ष पुष्पेंद्र राजवाड़े,सचिव राजू साहू,राजन पाण्डेय, नीलेश सोनी,एहसानुल हक,प्रफुल्ल पाण्डेय, बालकरण सोनपाकर सहित समिति के अनेक सदस्य मौजूद रहे,बैठक के समापन पर समिति ने क्षेत्रीय जनता के अधिकारों, प्रशासनिक पारदर्शिता और विकास कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रयास निरंतर जारी रखने का संकल्प दोहराया।

अग्रवाल महिला मंडल ने धूमधाम से मनाया सावन उत्सव

सावन सुंदरी प्रतियोगिता बनी आकर्षण का केंद्र,आयुषी तायल चुनी गईं सावन सुंदरी 2026

-संवाददाता-

सूरजपुर, 18 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

अग्रवाल महिला मंडल द्वारा अग्रवाल भवन में सावन उत्सव का भव्य एवं रंगारंग आयोजन किया गया, सावन की उमंग और उत्साह के सांवरों कार्यक्रम में समाज की महिलाओं ने बहु-चढ़कर हिस्सा लिया,पूरे आयोजन के दौरान हंसी-खुशी, आपसी सौहार्द और मनोरंजन का माहौल बना रहा। कार्यक्रम में महिलाओं के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के गेम्स, हाउजी और लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया,आयोजन का मुख्य आकर्षण सावन सुंदरी प्रतियोगिता रही,प्रतियोगिता में तीन वर्ष से अधिक समय से विवाहित महिलाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा एवं आकर्षक अंदाज का प्रदर्शन किया।



आयुषी तायल बनीं सावन सुंदरी 2026-सावन सुंदरी प्रतियोगिता में आयुषी तायल को सावन सुंदरी 2026 चुना गया, वहीं मनमोहक सावन सुंदरी का द्वितीय पुरस्कार चंचल गोयल को तथा सावन सुंदरी का तृतीय पुरस्कार सजल अग्रवाल को प्रदान किया गया, मनोहर सावन सुंदरी का पुरस्कार लहर मितल ने प्राप्त किया, इसके अलावा चारू अग्रवाल एवं विधि पालीवाल को भी विशेष सम्मान से नवाजा गया, प्रतियोगिता के दौरान महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ भागीदारी निभाई, प्रतिभागियों के उत्साह और आयोजन की आकर्षक प्रस्तुति ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का मन मोह लिया।

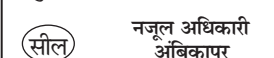
ने प्राप्त किया, इसके अलावा चारू अग्रवाल एवं विधि पालीवाल को भी विशेष सम्मान से नवाजा गया, प्रतियोगिता के दौरान महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ भागीदारी निभाई, प्रतिभागियों के उत्साह और आयोजन की आकर्षक प्रस्तुति ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का मन मोह लिया।



खान-पान के स्टॉल और झूलों का उठाया आनंद-सावन उत्सव में विभिन्न प्रकार के खान-पान के स्टॉल भी लगाए गए थे, महिलाओं और बच्चों ने स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया,इसके साथ ही परिसर में लगाए गए झूलों का भी बच्चों और महिलाओं ने जमकर लुत्फ उठाया, आयोजन स्थल पर सावन के

अनुरूप सजावट और गतिविधियों ने उत्सव के माहौल को और खुशनुमा बना दिया। सदस्यों के सहयोग से सफल हुआ आयोजन-कार्यक्रम को सफल बनाने में अग्रवाल महिला मंडल की सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा,ममता अग्रवाल,सीमा गर्ग, रिकी अग्रवाल,लता गोयल,सुमन गोयल,

पूजा अग्रवाल,आशा अग्रवाल,सीमा अग्रवाल, काजल अग्रवाल,मीना गोयल,मंजु गोयल, विजया गर्ग,गीता अग्रवाल,रेखा गोयल,कुसुम अग्रवाल,नीता गोयल,उषा अग्रवाल,पिकी केजरीवाल एवं विधि अग्रवाल सहित अन्य सदस्यों ने आयोजन की व्यवस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभाई,अग्रवाल महिला मंडल की अध्यक्ष ममता अग्रवाल ने आयोजन की सफलता पर सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया,उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग और आपसी सामंजस्य से सावन उत्सव को यादगार बनाने में सफलता मिली,ऐसे आयोजन महिलाओं को एक-दूसरे से जुड़ने,अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और मिल-जुलकर खुशियां मनाने का अवसर प्रदान करते हैं, उन्होंने कहा कि आयोजन की सफलता प्रत्येक सदस्य के सामूहिक प्रयास का परिणाम है।



● मिलावट पर कितनी कार्रवाई ?

● कुर्सियों पर कितनी मेहरबानी ?

● होटल-ढाबों से उगाही ?

● छोटों पर कार्रवाई, बड़ों पर मेहरबानी ?

● अभियान के बाद फिर सब सामान्य ?



खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा तुकाराम मुंढे ?

जनता की थाली और दवा की सुरक्षा से भटकता विभाग !

तबादले पदोन्नति विवाद



दीपक अग्रवाल नियंत्रक

राजेंद्र कटारा अधिकारी

अमित कटारिया आयुक्त

विजय चौधरी अधिकारी

बड़े सवाल

क्या मिलावट के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ दिखावा है ?

क्या विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही है ?

क्या ऊपर तक पहुंच रही है सही जानकारी या हो रही है बंद आंखें ?

छत्तीसगढ़ को चाहिए ऐसा नेतृत्व, जो थाली और दवा को करे सुरक्षित !



महाराष्ट्र में तुकाराम मुंढे, छत्तीसगढ़ में कौन ?

खाद्य सुरक्षा के नाम पर आखिर किसका चल रहा राज ?

मिठाई में मिलावट खोजनी थी, विभाग कुर्सियों की मिठास में उलझ गया खाद्य एवं औषधि प्रशासन!

जनता की थाली में मिलावट, विभाग की फाइलों में 'सब ठीक' ...कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का तुकाराम मुंढे

खाद्य सुरक्षा विभाग में 'सेफ' कौन? जनता की थाली या अधिकारियों की कुर्तियां?

मिलावटखोर बेखौफ, विभाग में कुर्तियों का खेल, छत्तीसगढ़ को अब तुकाराम मुंढे का इंतजार...

छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा तुकाराम मुंढे? खाद्य एवं औषधि प्रशासन में जनता की थाली से ज्यादा कुर्तियों की चिंता!

जनता की थाली असुरक्षित, विभाग में कुर्तियों की सुरक्षा फकीर! खाद्य एवं औषधि प्रशासन पर व्यंग्यात्मक सवाल

कौन देखेगा जनता की थाली? खाद्य एवं औषधि प्रशासन में कार्रवाई से ज्यादा तबादले-पदोन्नति की चर्चा

खाद्य सुरक्षा की कुर्सी पर कौन? छत्तीसगढ़ में तुकाराम मुंढे की ज़रूरत या व्यवस्था सुधाने की?

जनता की थाली में मिलावट, विभाग की फाइलों में 'सब ठीक'...कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का तुकाराम मुंढे?

-न्यूज डेस्क-

रायपुर, 18 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन की मौजूदा आधिकारिक जानकारी में तुकाराम मुंढे को आयुक्त बताया गया है, और विभाग अपने मूल उद्देश्य को खाद्य पदार्थों, दवाइयों और कॉस्मेटिक्स की सुरक्षा, गुणवत्ता तथा नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करना बताता है, यही वह बिंदु है जहां से छत्तीसगढ़ के लिए एक असहज लेकिन जरूरी सवाल निकलता है कि आखिर यहां कौन बनेगा तुकाराम मुंढे? यह सवाल किसी अधिकारी को महान और किसी को निकम्मा घोषित करने के लिए नहीं है, सवाल व्यवस्था का है, खाद्य एवं औषधि प्रशासन का नाम सुनते ही आम आदमी की उम्मीद बहुत सीधी होती है उसकी थाली में सुरक्षित भोजन पहुंचे, दूध-मिठाई-मसाले में मिलावट न हो, दवा मानक के अनुरूप हो और नकली या अमानक उत्पाद बाजार में टिक न पाए, महाराष्ट्र एफडीए की आधिकारिक जानकारी भी निरीक्षण, निगरानी और अमानक, मिलावटी, नकली या प्रतिबंधित खाद्य एवं दवा उत्पादों के विरुद्ध कार्रवाई को अपनी मूल भूमिका का हिस्सा बताती है, लेकिन छत्तीसगढ़

विभाग का असली काम कहीं फाइलों के नीचे तो नहीं दब गया?

खाद्य एवं औषधि प्रशासन कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां केवल फाइलों का वजन देखकर काम की सफलता मापी जाए, यहां असली परीक्षा बाजार में होती है, मिठाई की दुकान पर, होटल की रसोई में, दूध के कारोबार में, खाद्य निर्माण इकाई में, दवा दुकान में और उस प्रयोगशाला में जहां नमूनों की जांच होती है, आधिकारिक नियामकीय ढांचे में खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्धारित योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाता है और वह खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन से जुड़ा मैदानी अधिकारी होता है, नामित अधिकारी को निरीक्षण, नमूने, शिकायतों और आरोपों की कार्रवाई की निगरानी जैसी जिम्मेदारियां दी गई हैं, यानी व्यवस्था का मकसद साफ है की कानून कागज पर नहीं, बाजार में दिखाई दे, अब सवाल है कि छत्तीसगढ़ में कितने निरीक्षण नियमित होते हैं? कितने नमूने लिए जाते हैं? कितने नमूने फेल होते हैं? फेल नमूनों पर कितने मामलों में अभियोजन या दंड होता है? कितने बड़े होटल और खाद्य निर्माता उसी कठोरता से जांचे जाते हैं जिस कठोरता से छोटा दुकानदार जांचा जाता है? और सबसे महत्वपूर्ण...क्या कार्रवाई का रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से इतना पारदर्शी है कि आम आदमी खुद देख सके कि विभाग ने क्या किया? अगर जवाब आंकड़ों में है तो आंकड़े सामने आने चाहिए, क्योंकि प्रेस विल्लि विभाग की उलालिखित बता सकती है, लेकिन आंकड़े विभाग की असली परीक्षा बताते हैं।

में पिछले कुछ समय से विभाग की चर्चा का बड़ा हिस्सा यदि तबादला, पदस्थापना, अतिरिक्त प्रभार, पदोन्नति और कथित वसूली के आरोपों के इर्द-गिर्द घूमने लगे, तो फिर जनता को यह पूछने का पूरा अधिकार है कि उसकी थाली और उसकी दवा की सुरक्षा का नंबर आखिर कब आएगा?

त्योहार आया, अभियान आया, त्योहार गया, क्या निगरानी भी गई? -मिलावट के खिलाफ अभियान जरूरी है, त्योहारों के समय मिठाई और खाद्य पदार्थों की जांच भी जरूरी है, लेकिन व्यंग्य यहीं से शुरू होता है की अगर मिलावट सिर्फ त्योहारों में पैदा होती है तो अभियान पर्याप्त है, लेकिन यदि मिलावट सालभर चलती है तो फिर विभाग की निगरानी भी सालभर चलनी चाहिए, एक दिन में कुछ दुकानों से नमूने लेना और उसे पूरे जिले को खाद्य सुरक्षा का प्रमाण-पत्र मान लेना आसान है, कठिन काम है लगातार निगरानी, वैज्ञानिक नमूना संग्रह, प्रयोगशाला परीक्षण, समयबद्ध कार्रवाई और दोषी पर समान कानून लागू करना, महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत, प्रवर्तन और विभागीय संपर्क व्यवस्था भी प्रकाशित है, छत्तीसगढ़ में भी यदि ऐसी पारदर्शिता बड़े तो सवाल कम और भरोसा ज्यादा होगा।

सबसे गंभीर आरोप...कार्रवाई या कथित 'रेट'? छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं औषधि प्रशासन को लेकर सार्वजनिक चर्चा में कथित वसूली और कार्रवाई के नाम पर लेन-देन के आरोप भी सामने आते रहे हैं, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि के बिना उन्हें तथ्य नहीं कहा जा सकता, लेकिन आरोप बार-बार सामने आए तो उन्हें जांच के बिना दफन कर देना भी स्वस्थ प्रशासन नहीं है, निष्पक्ष रास्ता एक ही है...जांच करिए, आरोप गलत है तो अधिकारी को क्लीन चिट दीजिए, सही है तो दोषी पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन चुपकी की जवाब मान लेना सबसे खराब विकल्प है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी की कुर्सी का काम 'रेट तय करना' नहीं, मानक तय करना है, यदि व्यापारी नियम तोड़ता है तो कानून के अनुसार कार्रवाई हो, यदि वह नियमों का पालन करता है तो उसे बेवजह परेशान न किया जाए, यही नियामक की विश्वसनीयता है।

विजय चौधरी, दीपक अग्रवाल, राजेंद्र कटारा या अमित कटारिया...कसौटी नाम नहीं, काम होना चाहिए...विभाग से जुड़े विमर्श में दीपक अग्रवाल, राजेंद्र कटारा, अमित कटारिया और विजय चौधरी जैसे नामों को लेकर चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन किसी अधिकारी को केवल आरोपों के आधार पर ईमानदार या भ्रष्ट घोषित करना पत्रकारिता नहीं होगी, असली कसौटी उनका रिकॉर्ड है, कितने निरीक्षण? कितने नमूने? कितने फेल? कितने अभियोजन? कितनी अंतिम कार्रवाई? कितनी शिकायतों का निस्तारण? कितने अधिकारियों पर कार्रवाई? कितने बड़े कारोबारी कानून के दायरे में आए? यही रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए, यदि यह रिकॉर्ड अच्छे है तो विभाग को किसी 'मुंढे' की जरूरत नहीं, और यदि रिकॉर्ड कमजोर है तो केवल पदनाम बदलने से जनता का भरोसा वापस नहीं आएगा।

अमित कटारिया तक सही जानकारी पहुंच रही है या सिर्फ सुंदर फाइलें? -किसी भी आयुक्त के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होती

छोटे दुकानदार पर डंडा, बड़े पर सन्नाटा तो सवाल उठेंगे...

एक पुराना सवाल फिर सामने आता है की क्या विभाग की कार्रवाई सब पर समान है? छोटे दुकानदार की दुकान में जांच आसान है, लेकिन बड़े होटल, बड़े खाद्य निर्माता, प्रभावशाली कारोबारी और बड़े प्रतिष्ठान भी क्या उसी नियमितता से जांचे जाते हैं? यदि विभाग कहता है कि हां, तो जिलेवार और श्रेणीवार आंकड़े सार्वजनिक करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, कितने निरीक्षण हुए, कितने नमूने लिए गए और कितने मामलों में कार्रवाई हुई...यह सामने आते ही चर्चा आरोप से तथ्य पर आ जाएगी, कानून की असली ताकत तब दिखाई देती है जब उसका वजन दुकान के आकार से नहीं, उल्लंघन की गंभीरता से तय होता है।

सुरक्षियों में विभाग का मूल काम कम, कुर्तियों की चर्चा ज्यादा क्यों?

खाद्य एवं औषधि प्रशासन को लेकर हालिया बहसों में पदोन्नति, पदस्थापना, अतिरिक्त प्रभार और स्थापना शाखा के निर्णयों पर सवाल उठे हैं, नमूना सहायक से खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर 13 कर्मचारियों की पदोन्नति और इसी वर्ष नमूना सहायक के 30 पदों की भर्ती का विज्ञापन भी इसी व्यापक चर्चा का हिस्सा बना है, इन निर्णयों को सही या गलत बताने के लिए लागू सेवा नियम, पदोन्नति कोटा, पात्रता, डीपीसी की कार्यवाही और स्वीकृत पदों की वास्तविक स्थिति देखना जरूरी है, लेकिन एक सवाल तो बनता ही है—विभाग की दीर्घकालिक मानव संसाधन नीति आखिर है क्या? अगर तकनीकी पदों की कमी है तो सीधी भर्ती कब होगी? अगर पदोन्नति से यह भरने में तो उसका स्पष्ट कोटा क्या है? अगर दोनों रास्ते हैं तो दोनों का अनुपात कितना है? और यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति से तकनीकी पद पर पहुंच रहा है तो उसकी योग्यता और अनुभव का परीक्षण किस स्तर पर हुआ?

है कि नीचे से ऊपर आने वाली सूचना कितनी सही है, आयुक्त हर दुकान पर खुद नहीं जा सकता, वह अधिकारियों की रिपोर्ट पर निर्णय लेता है, इसलिए सवाल केवल आयुक्त की नीयत का नहीं, सूचना तंत्र की विश्वसनीयता का भी है, अगर नीचे सब ठीक है तो शिकायतों का निस्तारण तेजी से होना चाहिए, अगर शिकायत सही है तो कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि शिकायत झूठी है तो शिकायतकर्ता को कारण सहित जवाब मिलना चाहिए, वरना ऊपर बैठे अधिकारी को फाइल में प्रवेश बिनाकुल चमकदार दिख सकता है और जमीन पर जनता कुछ और देख सकती है, प्रशासन में इसे ही शाब्दिक 'फाइल की हरी तखीर' और बाजार की काली सच्चाई' कहा जा सकता है।

क्या नितेश मिश्रा जैसे अधिकारी पर भरोसा करे छत्तीसगढ़? -खाद्य एवं औषधि प्रशासन में अधिकारी की कुर्सी सिर्फ सरकारी कुर्सी नहीं, जनता की थाली और दवा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, ऐसे में जब किसी अधिकारी की लंबे समय तक एक ही संभाल में पदस्थापना, कई जिलों के अतिरिक्त प्रभार और महत्वपूर्ण विभागीय जिम्मेदारियों को लेकर सवाल उठें, तो जनता का सवाल भी स्वाभाविक है—भरोसा किस आधार पर किया जाए? नितेश कुमार मिश्रा का पक्ष है कि उनकी पदस्थापनाएं शासन के आदेश से हुई और वर्तमान में भी कई

अधिकारी एक से अधिक जिलों का दायित्व संभाल रहे हैं, यह पक्ष अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यंग्य यहीं है...अगर सब कुछ शासन के आदेश से हुआ, तो फिर आदेशों की पूरी फाइल सार्वजनिक कर दीजिए, जनता भी देख ले कि यह प्रशासनिक दक्षता थी या विभागीय व्यवस्था का कोई खास 'फॉर्मूला', दस वर्षों तक एक ही संभाल के आसपास मूल और अतिरिक्त प्रभारों का क्लिस्सिला, फिर पदोन्नति के बाद गृह क्षेत्र के आसपास जिम्मेदारी—इसे संयोग कहा जाए, योग्यता कहा जाए या फिर सरकारी सेवा का ऐसा भाग्य जिसे हर अधिकारी हासिल करना चाहे? सवाल यह भी है कि एक अधिकारी को बार-बार महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलने के पीछे विभागीय कसौटी क्या थी। क्या उपलब्धियां थीं? क्या निरीक्षण और कार्रवाई का रिकॉर्ड था? कितने नमूने लिए गए, कितने अमानक पाए गए और कितनों पर प्रभावी कार्रवाई हुई? क्योंकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी की असली परीक्षा यह नहीं कि वह कितनी कुर्तियां संभाल सकता है, बल्कि यह है कि वह जनता की थाली कितनी सुरक्षित रख सकता है, और आखिर में सबसे सीधा सवाल क्या छत्तीसगढ़ को ऐसे अधिकारी पर आंख मूंदकर भरोसा करना चाहिए, या सरकार को पहले उनके पूरे कार्यकाल, पदस्थापनाओं, अतिरिक्त प्रभारों और विभागीय निर्णयों का स्वतंत्र एवं पारदर्शी

ऑडिट करकर जनता को बताना चाहिए कि 'होन्हार अधिकारी' की सरकारी परिभाषा आखिर है क्या?

रिपोर्ट कार्ड चाहिए...

तुकाराम मुंढे का नाम यहां किसी चमत्कारिक समाधान की तरह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, किसी भी अधिकारी का मूल्यांकन काम से होना चाहिए, महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट स्वयं सुरक्षित भोजन, सुरक्षित दवाएं, सुरक्षित महाराष्ट्र को मिशन के रूप में प्रस्तुत करती है और खाद्य-दवा सुरक्षा को विभाग का केंद्रीय उद्देश्य बताती है, छत्तीसगढ़ को भी यही चाहिए...सुरक्षित भोजन, सुरक्षित दवाएं, सुरक्षित छत्तीसगढ़, लेकिन इसके लिए पहले यह देखना होगा कि विभाग का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, पिछले एक वर्ष में जितने कार्ड नमूने लिए गए? कितने फेल हुए? फेल नमूनों पर क्या कार्रवाई हुई? कितने मामले न्यायालय तक पहुंचे? कितने मामलों में दंड हुआ? कितनी शिकायतें आईं और कितनी का निस्तारण हुआ? अगर इन सवालों के जवाब साफ हैं तो फिर तुकाराम मुंढे की तलाश की जरूरत नहीं, छत्तीसगढ़ का कोई भी अधिकारी अपने काम से खुद उदाहरण बन सकता है।

व्यंग्य का आखिरी सवाल...मिठाई कौन देखेगा, कुर्सी कौन ?

खाद्य एवं औषधि प्रशासन में अगर सब कुछ नियम से चल रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं, फाइल खोलिए, नियम दिखाइए, डीपीसी की नोटशीट बताइए, निरीक्षण के आंकड़े रखिए और सवाल खत्म कीजिए, लेकिन यदि जनता की थाली की सुरक्षा वाली कुर्सी पर बैठकर सबसे ज्यादा चर्चा उसी कुर्सी को हो रही है, तो सवाल उठेंगे ही, महाराष्ट्र में तुकाराम मुंढे हैं पर छत्तीसगढ़ में कौन होगा? कौन ऐसा होगा जो छोटे दुकानदार से नियम पूछते समय बड़े कारोबारी से भी वही सवाल पूछेगा? कौन ऐसा होगा जो छोटे दुकानदार से नियम पूछते समय बड़े कारोबारी से भी वही सवाल पूछेगा? कौन ऐसा होगा जो अधीनस्थ की सुंदर रिपोर्ट देखकर संतुष्ट होने के बजाय कभी-कभी बाजार की सच्चाई भी देखेगा? क्योंकि अंततः खाद्य एवं औषधि प्रशासन की असली कुर्सी रायपुर के कार्यालय में नहीं, जनता की थाली और मरीज की दवा में है, और यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा व्यंग्य है की जिस विभाग को जनता के खाने और दवा की शुद्धता देखनी है, उसकी अपनी व्यवस्था कितनी शुद्ध है, इसका टेस्ट भी अब जनता ही ले रही है।

नमक की बोरियों के नीचे छिपाया 1.54 करोड़ का गांजा...ओडिशा से सुकमा के रास्ते राजस्थान ले जा रहे थे, 2 गिरफ्तार

सुकमा, 18 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुलिस ने 308 किलो 280 ग्राम गांजा पकड़ा है। गांजा पिकअप में नमक की बोरियों के नीचे छिपाकर ओडिशा से राजस्थान ले जाया जा रहा था। जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 54 लाख 14 हजार रुपए बताई गई है। इसके साथ ही, पुलिस ने पिकअप वाहन समेत कुल 1 करोड़ 64 लाख 49 हजार 550 रुपए की संपत्ति जब्त की है। राजस्थान के 2 आरोपी शिव कुमार प्रजापति (24) और उदय राम बलई (24) को गिरफ्तार किया गया है। मामला कोंडा थाना इलाके का है।

ओडिशा से राजस्थान ले जा रहे थे गांजा : एएसपी रोहित शाह ने बताया कि, 18 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिली थी। बताया गया कि पिकअप वाहन क्रमांक RJ-27-GE-6757 में ओडिशा के मलकानगिरी क्षेत्र से गांजा लेकर कोंडा के रास्ते राजस्थान ले जाया जा रहा है। सूचना के बाद कोंडा पुलिस ने कोंडा-मोढ़ मुख्य मार्ग स्थित कृष्ण

मंदिर चौक, वार्ड क्रमांक 5 डोंडरा के पास नाकेबंदी की। सुबह करीब 6:10 बजे संदिग्ध पिकअप को रोककर उसमें सवार 2 लोगों को हिरासत में लिया गया।

नमक की बोरियों के नीचे मिले गांजे के पैकेट : पुलिस ने पिकअप की तलाशी ली तो ऊपर से नमक की बोरियां रखी मिलीं। इनके नीचे गांजे के पैकेट छिपाकर रखे गए थे। वजन करने पर कुल 308 किलो 280 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से शिव कुमार

प्रजापति और उदय राम बलई को गिरफ्तार किया है। दोनों राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के गाडरमाल के रहने वाले हैं।

1.64 करोड़ की संपत्ति जब्त : पुलिस के अनुसार बरामद गांजे की कीमत करीब 1.54 करोड़ रुपए है। वहीं पिकअप वाहन समेत जब्त संपत्ति की कुल कीमत 1 करोड़ 64 लाख 49 हजार 550 रुपए आंकी गई है। कोंडा थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।



C
M
Y
K

C
M
Y
K

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा साईं ऑफसेट प्रिंटर्स, नमनाकला, संत हरेकवल विद्यापीठ के पास, अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHN/2004/15050, डॉक रजिस्टर्ड क्र.:1-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001, 98265-32611, Email:ghatatighatanal1@gmail.com, Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)

C M Y K

+